an>

Title: Further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme raised by Shri Sankar Prasad Datta on the 9^{th} December, 2014 (Discussion concluded).

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 23 – further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Hon. Minister to reply.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Hon. Deputy-Speaker, Sir, more than 20 hon. Members participated in this discussion under Rule 193 about MGNREGA's functioning...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this discussion was not concluded. Some hon. Members are yet to speak. They must be allowed to speak.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already many Members have spoken on it.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEKAER: The next item is also discussion under Rule 193. We have to take up that also.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : That is a different thing. There may be many items...(*Interruptions*) It is not good.

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members have spoken on this discussion. But if there are some more Members who are interested to speak on this discussion, they may lay their written speeches on the Table of the House. As a special case, we will allow it. Now, the hon. Minister has already started his reply. Let him continue. The reply is more important. Many Members have raised their points. Let him answer that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We waned to speak on what are the defects, how they are diluting this Act, etc. The hon. Minister is well aware. He himself has appreciated this Act. He knows the difficulties of this Act as to how to implement it. Therefore, at least, you accommodate some more hon. Members to speak on this discussion. For eight days, you have been prolonging it. The House might have discussed it hardly for three hours.

HON. DEPUTY SPEAKER: Khargeji, we have discussed it for four hours. The record is there. As per our record, two hours were allotted for this discussion; and we have already taken four hours to discuss it. Now, let the Minister continue.

Those hon. Members, who are interested to lay their written speeches on the Table of the House, they may do so. They will be recorded in the proceedings.

***श्री संतोष कुमार (पूर्णिया)** ः मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार की इस योजना से खासकर पिछड़े राज्यों के गरीब-गुरबा मज़दूरों को काफी राहत मिली है। आज इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने गाँव में ही कुछ काम मिल जाता है। वैसे इस योजना की काफी प्रशंसा सदन में पहले भी हो चुकी है, लेकिन बीच में चिन्ता बढ़ गई थी कि शायद सरकार इसे बन्द करने पर विचार कर रही है, जो गरीबों के लिए एक घातक कदम होता क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराये जाने की होनी चाहिए, न कि उनसे रोज़गार छीनने की।

मैंने अभी तक इसके बारे में जो देखा एवं समझा है, उस पर इस योजना की कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। जैसे-सभी राज्यों में इसमें मज़दूरी एक जैसी नहीं है। गरीबों को समान रूप से उनकी मज़दूरी नहीं मिलती है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ है, जिसके कारण वहाँ मज़दूरी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। अतः पिछड़े राज्यों के उनके अनुपात में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस योजना में मिट्टी के कार्य को प्रमुखता दी गई है। यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे मज़दूरों को अधिक से अधिक काम मिलेगा। लेकिन अगर गाँवों में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधायें जो आवश्यक है, उसे भी शामिल किया जाता है तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जायेगी और गाँवों के विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पायेगी।

इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। जैसे कि जहाँ नदी का कटाव हुआ और कार्य होना है, किंतु कटाव काफी गहरा है, यानि मज़दूर उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, उस विशेष परिस्थिति में मशीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः मशीन की जरूरत के हिसाब से इस योजना में काम लेने की व्यवस्था हो, ऐसा मेरा सुझाव है। आज मज़दूरों के भुगतान में तो काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धाँधली हो रही है। ठेकेदार से लेकर बैंक या डाकघर में उनसे प्रतिशत में पैसा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए और उन्हें डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, जिससे अपना पैसा मज़दूर कहीं भी निकाल सकें। दूसरा ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। हाजिरी किसी की किसी के नाम या अधिक हाजिरी, फिर काम नहीं होने के एवज में भी हाजिरी। यह तो मुख्य धाँधली इस योजना में चल रही है, जिसे सरकार रोकने में असफल रही है। इस पर तुरंत कोई मैकेनिज्म बने और सुधार हो, क्योंकि इससे मज़दूरों का ही नुकसान होता है। मज़दूरों का मिनिमम गारंटी भी बढ़े।

देश आगे बढ़ रहा है, किंतु मज़दूरों को वहीं का वहीं दबाए रखने की साजिश चल रही है, यह बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मिनिमम गारंटी कम से कम 250 से 300 दिनों का प्रति सालाना होना चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र पूरी तरह सुदृढ़ हो, ऐसी माँग इस सदन में हमेशा होती रही है, लेकिन इस पर कोई खास पहल नहीं होती है। जिसके कारण इस योजना में हमेशा शिकायत आ रही है। अतः मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। खासकर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के बारे में चाहता हूँ। वहाँ या तो छोटी-छोटी सीढ़ी बनाई जाती है या उनके पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसे भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ के गरीब मज़दूरों को जैविक खाद बनाने की भी सुविधा इस योजना में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मज़दूरों को होनी चाहिए। जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह एक अत्यंत ही लाभप्रद पहल साबित होगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज जैविक खाद और खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अतः यह पहल काफी लाभदायक हो सकती है। मजदूर वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध पत्ते और खरपतवार आदि को ही जैविक खाद बनाने में उपयोग करेंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ जायेगी।

अंत में काम के बदले कमीशन पर लगाम लगाने की जरूरत है और गरीब मज़दूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोज़गार इस मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है।

*SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): MGNREGA conceptualized by UPA Govt. in 2005 was its Flagship Programme. MGNREGA has since its inception brought metamorphical changes in the rural hinterland especially amongst the poor, landless and unemployed people in lakhs of villages.

The Preamble of Act provides for enhancement of livelihood security of households in rural area by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

The NREGA Act is focusing on providing guaranteed employment and not asset creation.

The NREGA Scheme is dovetailed with Panchayati Raj Scheme as the element of local planning of NREGA involves Gram Panchayat in execution of certain works. Another important feature is that it commits itself to have 1/3rd of the beneficiaries as women. Most of important of all is that the scheme as inbuilt feature of Transparency and Accountability through social audit which can be used by the administrators and the executive as a tool of self correction.

The Act outlines the work to be taken up the water conservation and harvesting; drought proofing and irrigation canal works, renovation of traditional water bodies, land development, flood control and rural connectivity. There is ample scope for these works in rural areas. The labour material ratio was envisaged as 60:40. However it is understood that this is being changed. If the material ratio is increased it will be in contravention of the Act's objective as the labour component will be replaced swiftly under this garb with machines as material usage in certain case will involve machines like concrete mixing. Thus despite of asset creation there will be large number of people who will be left without employment.

We have been observing that despite of allocation the Government has drastically reduced the release of funds for NREGA thereby not providing wages to several days to these poor rural folks. It has forced even CM (Tripura) and several other eminent economists and activists to sit on dharna.

Global Hunger Index report by International Food Policy Research Institute (IFPRI), which highlighted MGNREGA as one of the key reasons why India's proportion of underweight children (below the age of five) has come down from 43.7% in 2005 to 30% in 2014. The report detailed how the world failed to achieve 15 of the 21 Millennium Development Goals, decided in 2000, to be achieved till 2015. It also laid out the agenda for the next 15 years. One of the three goals it stressed on was the provisioning of social safety nets.

MGNREGA is essentially a social safety net provided by the Government since 2005. The idea is that rural people who are unable to get a job, especially during a lean agricultural season, may be able to subsist and survive such a phase instead of being uprooted from their homes.

Safeguards have been incorporated in MGNREGA to avoid abuse. One, it was prescribed that one adult member per household will be eligible for the scheme, which involved a full day of unskilled manual labour.

Two, for a day's work, the individual would get the basic minimum wages. Roughly Rs. 150.

It is important to scrutinize the criticism levelled against MGNREGA.

The first criticism is that it is holding back India's economic growth because the outgo contributes to the fiscal deficit. Here I wish to compare the MGNREGA allocation of Rs. 34,000 crore (which incidentally, is never disbursed fully) to the various subsidies that the critics of MGNREGA enjoy - namely, the fuel subsides on diesel and LPG, which cost the exchequer roughly Rs. 70,000 crore. Or the fertilizer subsidies (without which food articles would be costlier) is another Rs. 70,000 crore. So, one can easily conclude that money allocated to MGNREGA is far lesser than other direct and indirect subsidies.

Another criticism about MGNREGA is that it is holding back India's economic growth because it has made labour cost very high. The funny bit is that at its peak, 'high' would imply the minimum wages in the country. In fact, in as many as 12 states MGNREGA wages are below minimum wages. So the essential argument is that "We are not able to exploit the labour due to MGNREGA." If anything, that is a reason to carry on with MGNREGA. This actually blows the lid off the low-cost production legend of India, which is essentially built on the exploitation of rural unskilled labour. The truth is, if the economy (including agriculture) created enough, even remotely better paying opportunities, no one would enroll in MGNREGA, which at the maximum doles out Rs. 15,000 in a year for a family of five.

There is widespread corruption is MGNREGA. This is as true as the widespread corruption in our all segment of the society . Would any of the MGNREGA critics use the corruption argument to disband all the perceived corrupt organisation in the country? And, pray, why not? Does it have to do with the fact that in may cases it works, and that even if it is dysfunctional in big parts, it still maintains a semblance of order or else civic life would quickly degenerate into chaos?

MGNREGA is making Indians lazy. Really? Only people who have no idea about how the rural poor make out a daily living can pose this argument. Yes, there will be instances of lazy farmers, but almost always they will be rich farmers who do not line up for MGNREGA. The poorest farmers from, say, Bihar, West Bengal etc. migrate to the rest of the country, from Kashmir to Kanyakumari, are not lazy. They optimize their time. But often in doing so, their families are displaced, with adverse impacts on health and education. They optimize it to such an extent they would not want to waste even a day of earning by queuing up to get a bank account opened even when it is in their own interest to do so. By the way, some believe we should deposit Rs. 100 in their bank account and scrap MGNREGA. You could do that but will doing so make them less lazy?

This government believes in the power of the markets to solve all ills, and as such wants to do away with all kinds of doles including MGNREGA. But NREGA is not a dole, it is a way of creating work. If the government believes otherwise, it must shut down the whole scheme by repealing it and allow for market economics to take over. If not, then the government should reform it, taking steps to bring down corruption and ensure strict grievance redressal.

MGNREGA directly attacks hunger by providing the supplementary income that bridges the gap between destitution and poverty. The latest Global Hunger Index shows that India has slashed malnutrition rates by nearly 15 percent since MGNREGA was launched - the improvement in nutrition levels among mothers has translated, as it would, into better nutrition levels for their children. Women are the prime beneficiaries of the programme, and the substantial increase in their own disposal income has bettered indices across a wide range of measures. Moreover, by providing employment opportunities to women when the family is stalked by economic uncertainty, MGNREGA has enhanced the dignity and role of women as the principal providers for the family. Above all, as MGNREGA is the most important programme run by the Panchayats, inclusive growth has been secured through a participative model that, ideally, runs from the sarpanch to the ward members of the panchayat and the community as a whole in their gram sabhas.

There is no practical avenue for the people to demand further employment. Therefore, the availability of funds determines the amount of work offered, rather than the other way round, and those in further need are unable to press their demand for work. In other words, instead of being a "rights-based" programme, where anyone needing work is immediately given work (within the ceiling of one hundred days), the programme is run as a "scheme" in which the available budget translates into the work-days available and when that quota of work-days is exhausted, generally at well below a hundred days, there is no automatic enhancement of the budget. Therefore, if budget is not available the demand for employment also shrinks. It should not be read as work is in less demand - in other words, the work demand is always there despite the budget is not available.

Moreover, while the Central legislation provides for the payment of a dole if employment is not made available within 15 days of work being demanded, the burden of paying the dole has been devolved on State Governments, almost none of which is prepared to bear the burden, with the result that this key provision has remained a dead letter. There is no incentive to ensure that all ask for 100 days to work are given.

Moreover, MGNREGA is an "employment-creation" programme, not an "asset-creation" programme. For asset creation, there are several other schemes. That is why the success or otherwise of MGNREGA must be measured in terms of employment opportunities offered, not in terms of assets created. Alternatively, MGNREGA could be deployed for labour component of asset-creation programmes. It should even be possible to link private asset-creation, especially in the fields of small and margianl farmers MGNREGA.

Instead of dealing with these real issues of MGNREGA, this government has gone off on a tangent. First, it wants to change the ratio of labour to materials to increase the use of machinery and supplies without realizing that every rupee taken from employment to pay for materials reduces the funds available for employment and this further cuts the already low level of employment being offered under the programme. To emphasize asset-creation at the expense of employment-creation is to undermine the very logic of this hugely popular and desperately needed programme. Yet, mindlessly, this is precisely what this government is contemplating.

Worse, this government plans to restrict the programme to designated "backward" areas. Constituting about a third of the country. This is ridiculous. For one thing there is already a pretty successful Backward Religions Grant Fund. It requires strengthening. Additional funds for backward areas development should be made available to this Fund. Why shift the burden to MGNREGA?

More fundamentally, the programme in Gandhi's name is targeted at the individual is need, not the place of his or her residence. There is no part of India where the destitute and the poor do not live. The proportion may be higher in some places than in others. But those in need are everywhere. To deprive people of employment merely because they happen to live in the wrong place is to inflict the gravest injustice on them for no fault of their own.

Finally, the beauty of MGNREGA lies in the self-identification of beneficiaries. Anyone willing to undertake the hard, backbreaking, unskilled work involved in MGNREGA, toiling in the boiling sun for the pittance required to keep body and should together, has been the only criterion for making work available. There are no tiresome, discriminatory identification procedures pockmarked with corruption and nepotism. It seems that this Government, in the grab of tweaking NREGA and its so called innovation, will re-introduce patronage networks to run the programme.

Despite numerous hurdles, the NREGA has achieved significant results. At a relatively small cost (currently 0.3% of India's GDP), about 50 million households are getting some employment at NREGA worksites every year. A majority of NREGA workers are women, and close to half are Dalits or Adivasis. A large body of research shows that the NREGA has wide-ranging social benefits, including the creation of productive assets.

Recent research also shows that corruption levels have steadily declined over time. For instance, official estimates of NREGA employment generation are very close independent estimates from the second India Human Development Survey. While corruption remains a concern, experience shows that it can be curbed, and the battle against corruption in NREGA has helped to establish new standards of transparency in other programmes as well.

The labour-material ratio is sought to be reduced from 60:40 to 51:49 without any evidence that this would raise the productivity of NREGA works. For the first time, the Central Government is imposing caps on NREGA expenditure on state governments, undermining the principle of work on demand.

The Central Government appears to be considering an amendment aimed at restricting the NREGA to the country's poorest 200 districts. This runs against a fundamental premise of the Act: gainful employment that affords basic economic security is a human right. Even India's relatively prosperous districts are unlikely to be free from unemployment or poverty in the foreseeable future.

The new government's first budget may ring in a complete revamp of two flagship schemes of the previous Congress-led government- MNREGA or the rural jobs scheme and the food security plan.

The signs were clear in the Economic Survey, or the pre-budget report card of the economy tabled by Finance Minister Arun Jaitley today, which criticized both schemes and said a "revamp reorganisation and convergence of social sector scheme is needed."

On MNREGA or the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the survey noted "lack of principal role in planning, execution and monitoring" and low awareness, resulting in "lack of ownership and ill-conceived planning."

One of the beneficiaries of the scheme is 60-year-old Paramshila Devi. The Rs. 20,000 she has earned in the last three year, doing various jobs under NREGA, has helped her survive after her husband's death two years ago.

Work under the Act may be increasingly hard to come by, she says, but NREGA is still an important part of her life, and that of many others here. She says, "What other work can I do? I can't do hard labour at this age. If it closes down, what are my options? The government has to give us work".

The government has so far refused to confirm or deny any attempt on its part to rework the Act, apart from saying that projects under the scheme need to be more productive, and linked to other government infrastructure schemes for rural areas.

The combined effect of expanded agricultural production, demand for labour from construction sector and the effect of MGNREGA has led to tightening of the market for agricultural labour and a steady rise in real wages. Farmers sometimes complain about this. But rising demand for labour is the only way to help the landless improve their standard of living", our ex-PM Dr. Manmohan Singh said. He said the Panchayati Raj institutions have to gear themselves to play a central role assigned to them under the scheme and stressed the need to provide the resources to help panchayats to perform the function effectively.

Harsh Mariwala, Chairman of consumer company Marico, in an interview to NDTV in Jan 2012, said that employment job guarantee scheme NREGA has boosted rural sales and benefited the company immensely.

This government is weakening the rural job guarantee scheme because it was started by the UPA. The political vendetta would hurt the rural poor whom it provides a safety net.

Tripura Chie Minister Manik Sarkar, the first CM to lead to a dharna against the dilution of MGNREGS, said his state is facing a massive cut in funds from the Centre. He said it has come down to Rs. 650 crore from last year's Rs. 1400 crore. Sarkar said right from the beginning, vested interests in rural areas, big landlords, money lenders, big capitalists and corporate houses were opposed to the programme. "The decision to curtail MGNREGS will adversely affect Tripura which is the best performing state in this regard. This will not be tolerated," he said.

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला)** ः: मनरेगा (MGNREGA) जिसको 2006 में इसलिये लागू किया गया ताकि ग्रामीण आबादी में बसे बेरोज़गारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार मिल सके और उनकी आजीविका को बल मिले। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेतृ के लिये है और पंचायतों के माध्यम से यह कार्य होना है जिससे ये ग्राम पंचायतें भी सशक्त हों। ऐसे उद्देश्य को लेकर "मनरेगा" को लाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि 2006 से लेकर अब तक लगभग 1,63,755 करोड़ रूपये का भुगतान मनरेगा के माध्यम से मज़दूरी पर दिया गया और 1.658 करोड़ व्यक्ति-दिनों (Persons-Days) के माध्यम से मज़दूरी का रोज़गार उत्पन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब जनता को अधिकांश लाभ पहुंचा है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग लाभान्वित हुआ है। इस वर्ग के 48 प्रतिशत तथा महिला वर्ग जो हमारे समाज का आधा भाग है उन्हें भी 48 प्रतिशत के करीब इसके अंतर्गत रोज़गार उपलब्ध हुआ है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि मनरेगा के शुरूआती दिनों में जनता को इससे लाभ मिला, गांवों में छोटे-छोटे कामों के माध्यम से वहां रोज़गार मिला। पंचायतों में जरूरत के अनुसार विकास के कार्य हुये, परंतु इसमें कई कमियां रही है जिसके कारण इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। पंचायतों के प्रधान व अन्य कर्मचारियों की आपस में मिलीभगत के कारण इस योजना के माध्यम से पैसा बटोरना शुरू हुआ। यही कारण रहा कि जब-जब भी कोई चर्चा संसद में आई सांसदों द्वारा हमेशा ही कहा गया कि मनरेगा भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और इसे खत्म करने की जोर से आवाज़ उठने लगी। हालांकि सोशल-ऑडिट के माध्यम से इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की गयी तथा पैसा मज़दूरी सीधे पातृ व्यक्ति के नाम बैंकों या पोस्ट ऑफिसों में भेजे जाने की व्यवस्था की गई, परंतु भ्रष्ट तरीकों पर नकेल नहीं डाली जा सकी, जिसके कारण यह योजना चर्चा का विषय बनी रही है। क्योंकि यह योजना जोकि एक एक्ट के माध्यम से चलाई जा रही है, में आज मूलभूत बदलाव की जरूरत है। इसमें मेरे कुछ सुझाव है, जोकि निम्नलिखित हैः-

मनरेगा के कार्यों की सूची में और अधिक कार्यों को जोड़ना चाहिये, जोकि वहां के स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार हों। जैसे गांवों में सीमेंट के रास्ते, सराय भवन, ग्राम चौपाल, धार्मिक स्थानों के आस-पास सौन्दर्यकरण कार्य किये जाये ताकि इन स्थानों को स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक तौर से प्रयोग किया जा सके।

पहाड़ी राज्यों के 60ः:40 का जो अनुपात मज़दूरी व सामान का है, वह बदलना चाहिये इसे 40ः:60 किया जाना ठीक रहेगा। **MPLAD FUNDS** को मैटेरियल कम्पोनेन्ट के साथ जोड़ा जाये।

100 दिनों को कम से कम 200 दिन करने का प्रावधान हो ताकि व्यक्ति जो काम करना चाहता है तथा जिसे जरूरत है, उसे वर्ष में कम से कम आधे समय तक तो काम अनिवार्य तौर से मिल सके।

दैनिक मजदूरी बढ़ायी जानी चाहिये, क्योंकि कई स्थानों पर अधिकांशतः देखा गया है कि जरूरतमंद लोग इसलिये मनरेगा में कार्य नहीं करते, क्योंकि मज़दूरी बहुत कम है। इसलिये इसे तर्कसंगत बनाकर बढ़ाया जाये।

कुछ राज्यों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसले उजाड़कर आतंक जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, जहां पर लगभग 85 प्रतिशत पंचायतें इन जंगली जानवरों के कारण परेशान है, खासकर बंदरों के कारण। इसलिये मनरेगा के अंतर्गत हर गांव के **रखवाले** नियुक्त किये जाये ताकि किसानों की फसले उजड़ने से रोकी जा सके। इसी के साथ जंगलों को आग से भी बचाया जा सके। जहाँ-जहाँ जरूरत हों, वहाँ पर **फायर-वाचर** की भी मनरेगा के अंतर्गत नियुक्ति की जानी चाहिये।

तकनीकी स्टाफ हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाया जाये तथा हर मस्टरोल मं एक मेट (सुपरवाईजर) को लगाया जाये ताकि काम की देखरेख ठीक ढंग से हो सके। क्योंकि मनरेगा की अदायगी ऑनलाईन है, परंतु हर पंचायत में ब्रॉडबैन्ड कनेक्टिविटी न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हर पंचायत को यह सुविधा मुहैया करवाई जाये।

यद्यपि मनरेगा के माध्यम से कुछ एक प्रांतों में अच्छे कार्य हुये हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य शामिल हैं, तथापि कुछ एक प्रदेशों में उसके कार्यान्वयन में कोताही बरती गई है, जिसका नुकसान वहीं के गरीबों खासकर के दलितों व महिलाओं को हुआ है। हालांकि इसमें बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें गत वर्षों में बजट की कटौती भी हुई है, परंतु इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाये। योजना का क्रियान्वयन बेहतर हो इसकी खामियाँ जोकि गत 7-8 वर्षों में सामने आई है, उसे दूर करना चाहिये और इसे ज्यादा सशक्त बनाकर उन करोड़ों लोगों के हित में आगे बढ़ाया जाना चाहिये जो कि इस कार्यक्रम के सुपात्र हैं।

***श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा)** ः भाजपा की सरकार को इस ऐतिहासिक social legislation को dilute करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? मैं इस बात को मानता हूँ कि मनरेगा कानून का पूरी तरह से उसके letter and spirit में implementation नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं झुठला सकता है कि मनरेगा कई मायनों में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक (socio-economic) बदलाव लाने में सफल हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बदलाव भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री जी के मित्रों को चुभ रही हो जिस कारण वे इस कानून को slow poisoning से मार डालने की कोशिश कर रहे हैं? मनरेगा अपने आप में एक क्रांति है, इस कानून नें right to work on demand को न सिर्फ justicable rights बनाया बल्कि right to minimum wages, 15 दिनों में भुगतान कार्य क्षेत्र में मज़दूरों को दिये जाने वाले जरूरी बुनियादी सुविधाओं वगैरह को भी justiciable rights का दर्जा दिया गया।

मनरेगा कानून के फरवरी 2006 में लागू होने के साथ ही देश में rural public works programme का massive expansion हुआ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2008-09 में मनरेगा के देश-व्यापी होते ही 5 करोड़ घरों को इससे लाभ मिला और यह क्रम अभी तक जारी है इस योजना के तहत around 40 person-days BÃ‰EÃ‰ average employment per household per year दिया जा सका है, जो अपने आप में अभूतपूर्व (इह्नह्इह्रद्रस्त्ह्ध्थ) है। A study by Laura Zimmerman of the University of Michigan shows that when implemented properly, the programme arrested distress migration, providing a safety net for the poor in the lean agricultural sesaon. मनरेगा के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र में real wages को उछाल मिला। जहां 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि में जो कि मनरेगा के लागू होने से पहले का period है उस दौरान ग्रामीण मजदूरी में पुरूषों के में real wage में सिर्फ 0.01औ और महिलाओं में -0.05औ का growth देखा गया है वहीं दूसरी ओर 2005-06 से 2010-11 की अवधि में जो कि मनरेगा के लागू होने के बाद का पीरियड है उसमें यही growth पुरूषों में 1.82औ और महिलाओं में 3.83औ दर्ज़ किया गया है। आज गाँव में एक आम आदमी की purchasing capacity को boost मिला है। आज कंपनियाँ गाँव में अपना बाज़ार देख रही है और उनके marketing strategics में rural markets एक ज़रूरी हिस्सा बन गयी है। मनरेगा के इस योगदान को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है।

इस सरकार को समझना होगा कि मनरेगा केवल रोज़गार गारंटी कानून ही नहीं है। यह एक अवसर है जिसके माध्यम से gender inequality को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण (empowerment) का भी एक प्रभावशाली (effective) mechanism साबित हुआ है यह बड़े हर्ष की बात है कि मनरेगा की योजना के beneficiaries में आज महिलाओं की 54औ हिस्सेदारी है। आज ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कारण महिलाएं घरों से बाहर निकल कर काम कर रही है वे अपनी खुद की income अर्जित कर पा रही हैं, उनके अपने बैंक खाते हैं और अपने हक़ के लिए लड़ना सीख रही हैं। आज गाँवों में महिलाएं बढ़-चढ़ कर ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों में हिस्सा ले रही है।

मनरेगा के कारण बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की ग्रामीण महिलाओं के रोज़गार के अवसर में लगातार इज़ाफा हुआ है, ये वे राज्य हैं जहां ग्रामीण महिलाओं के पास independent cash income के बहुत कम मौके थे। 2009 के एक अध्ययन के अनुसार देश के छह northern states सिर्फ 30 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा के wages से हटकर cash income कमाया है जिस तरह से मनरेगा में महिला सशक्तिकरण, खासकर उत्तर भारत में किया है वे किसी क्रांति से कम नहीं है। मनरेगा ने न सिर्फ महिलाओं बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के घरों में भी cash income और उससे मिलने वाली सुरक्षा के नए दरवाज़े खोल दिये।

इतना शानदार योजना को मोदी जी की सरकार धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। इस सरकार के द्वारा मनरेगा को सिर्फ tribal/backward districts तक ही सीमित करने का प्रयास हो रहा है। मनरेगा में labor-material expenditure के तय 60ः40 के अनुपात को बदल कर 51ः49 के अनुपात में रखना चाहती है। यानि सरकार labour wages के लिए 60 प्रतिशत के बजाय 51 प्रतिशत खर्च करना चाहती है और वह भी on reduce scale. मनरेगा के budget में भारी कटौती करने का प्रयास हो रहा है। इससे रोज़गार देने की क्षमता में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ कामगारों के wage payments में पहले से ज्यादा परेशानी आएगी। केंद्र सरकार नें राज्य सरकारों को मनरेगा कार्यों के लिए आवंटित बजट के भीतर ही खर्च सीमित रखने का निदेश दिया है जिससे मनरेगा की आत्मा "right to work on demand, i.e, demand-driven employment" को गहरा चोट लगा है।

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने labour-material expenditure में बदलाव लाने का कारण यह बताया है कि implementation agencies को पहले तय किया गया material expenditure के लिए 40औ अनुपात durable and productive assests के निर्माण में अड़चन पैदा कर रही थी। लेकिन एक ब्ब्यू जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के Joint Secretary ने मंत्री जी को यह बताया था कि पूरे देश में वर्तमान में तय 40औ material expenditure के अनुपात के बावजूद सिर्फ 27 प्रतिशत expenditure ही हो पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जी को जो तय 40 प्रतिशत के सामग्री खर्च का अनुपात durable and productive assests के निर्माण में अड़चन दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उस अनुपात में तय राशि को पूरी तरह खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सरकार material expenditure के अनुपात को बढ़ाकर बेनामी ठेकेदारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी सदन को मनरेगा के अंदर material expenditure के अनुपात को बढ़ाने के पूरे कारणों को बताए क्योंकि prima-facie material expenditure में जो fund उपलब्ध होता है उसमें से लगभग 33औ fund unutilized रह जाता है। अगर deliverance system को ठीक किया जाए तो material expenditure के अनुपात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

RTI से मिली जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि labour-material expenditure ratio को 60ः40 से बदल कर 51ः49 करने से रोज़गार के अवसर में 40 प्रतिशत की भारी कमी आएगी और इस निर्माण से 5 करोड़ घरों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह भी चिंता व्यक्त की गयी है कि अगर labour-material ratio को 51ः49 कर दिया जाएगा तब केंद्र सरकार पर वेतन भुगतान के लिए 20

हज़ार करोड़ का addition burden पड़ेगा।

लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि labour-material expenditure ratio को बदलकर बड़े infrastructure projects के निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा। यह अपने-आप में एक flawed argument cÃ¨* In most areas where MGNREGA is a lifeline for the poor, there is no scope for very large projects, especially since employment is supposed to be provided within the village to prevent migration, and ensure that households of farm laborers have a fall-back option during the agricultural lean season.हमारी चिंता तब और बढ़ जाती है जब यह सुनने को आता है कि मनरेगा में private sector led/financed infrastructure projects को भी शामिल किया जाएगा तथा इसके कार्यों को agriculture assets के निर्माण के साथ जोड़ा जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि by linking it with agriculture could lead to a renewed exploitation of the landless.

मनरेगा के माध्यम से local governance में एक नई जान फूंक दी है। पहली बार गाँव को उसके disposal पर substantial resources with a clear purpose दिया गया है। मनरेगा में न

सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों को असंगठित क्षेत्र से बाहर निकाल कर संगठित करने का काम किया है बल्कि गाँव के विकास के लिए नए सिद्धांत और governance के नए standards तय किए हैं। आज मनरेगा के कारण ही हम लोक सहभागिता (participation), पारदर्शिता (transparency), जवाबदेही (accountability), जैसे ऊँचे मूल्यों को governance का एक ज़रूरी हिस्सा स्थापित करने में सफल हुए हैं। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों का ग्राम सभाओं द्वारा दृष्टद किया जाना और ग्राम पंचायतों के माध्यम से implement करने का प्रावधान अपने आप में महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की सरकार मनरेगा के अंदर local governance को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, वह मोदी जी के गांधी जी के नाम पर उनकी कमज़ोर प्रतिबद्धता को उजागर करती है। वे सिर्फ बड़बोले साबित हो रहे हैं।

मनरेगा में labour-material के ratio में material component का proportion बढ़ाकर 49औ करने के साथ-साथ इसके लिए योजना बनाने एवं क्रियान्वित (implement) करने का काम district level पर किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों को उनके गाँव में किस तरह का काम किया जाना चाहिए इस पर उनका कोई हक़ नहीं रहेगा। यह निर्णय संविधान के Article 243 G का उल्लंघन होगा जिसमें पंचायतों को स्वायत शासन की संस्था के रूप में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ दी गयी हैं। सरकार के इस कदम से मनरेगा के संबंध में कामों के निर्णयों में political considerations ज़ोर पकड़ेगा। अब गाँव अपने यहाँ होने वाले कामों पर कोई निर्णय नहीं लेगा बल्कि कलेक्टर और नेताओं की तरफ टकटकी लगा कर फलां-फलां काम को sanction करने के लिए गुहार करता फिरेगा। उस गाँव को नेताजी के राजनीतिक रंग में पहले रंग जाने का proof देना होगा तभी उस गाँव के कल्याण की कोई बात की जा सकेगी। सबसे दुखद बात यह होगी की इस सब में गरीबों, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मार्ग अब तक बना था उसमें कांटे बिछ जाएंगे।

मनरेगा का एक उल्लेखनीय योगदान, हम इसे blockbuster contribution भी कह सकते हैं यह रहा है कि wage relations में एक significant बदलाव आया है। यह बदलाव खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में casual labour के wage relations में ज्यादा दिखता है। मनरेगा में public works के लिए statutory minimum wages की actual payment ने न सिर्फ minimum wages के प्रति लोगों में जागरूकता फैलायी है बल्कि agricultural wages को substantially बढ़ाने में मदद की है जिससे अब गाँव एक isolated unit न रह कर mainstream में शामिल हो गया है। मनरेगा के कारण न सिर्फ agricultural wages में बढ़ोतरी हुई है बल्कि सभी ग्रामीण कामगारों के income को बढ़ाने में मदद की है। इसका dominos effect यह हुआ है कि factories और offices में कामगारों को उनके हक़ का वेतन देना पढ़ रहा है।

अब यह सरकार मनरेगा के कार्य क्षेत्र को छोटा कर wage relations में आई क्रांति को दबाने की कोशिश कर रही है। wage relations की इस क्रांति से बड़े जमीदार और उद्योगपतियों को सस्ता मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। चूंकि यह सरकार सिर्फ जमींदारों और उद्योगपतियों के हितों के लिए dedicated है इस लिए मनरेगा को dilute करने की कोशिश हो रही है। मनरेगा को कमज़ोर कर इस देश के मजदूरों के bargaining power को कुचलने की एक साजिश रची जा रही है जिस हड़बड़ी में इस सरकार ने The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014 और The Apprentices (Amendment) Bill, 2014 को पारित किया है वे अपने आप में उसके उद्योगपतियों के लिए उसकी sympathy और workers and labourers के लिए उसकी contempt को दिखाता है। मनरेगा का dilution इसी क्रम में उसका एक प्रयास है और हमारी पार्टी इसका ज़ोरदार विरोध करती है।

Year	No. Of households who have demanded employment	No. of household provided employment	Person-days (In crores)				Funds Available (In crores)	Expenditure (In crores)
			Total	SCs	STs	Women		
2006-07	214,96,072	211,35,164	91	23	33	36	12,074	8,823
2007-08	343,15,902	338,98,197	144	39	42	61	19,342	15,866
2008-09	455,18,907	451,15,358	216	63	55	104	36,300	27,251
2009-10	528,64,608	525,30,453	284	86	59	136	45,682	37,910
2010-11	557,63,244	549,54,225	257	79	54	123	52,649	39,377
2011-12	503,48,382	498,62,775	211	47	38	102	41,564	37,549
2012-13	497,70,208	479,26,171	230	46	34	110	38,835	38,977
2013-14			220	50	38	116	33,000	38,744
2014-15			114	26	19	64	34,000	24,294

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा)** ः मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार की इस योजना से खासकर पिछड़े राज्यों के गरीब-गुरबा मज़दूरों को काफी राहत मिली है। आज इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने गाँव में ही कुछ काम मिल जाता है। वैसे इस योजना की काफी प्रशंसा सदन में पहले भी हो चुकी है, लेकिन बीच में चिन्ता बढ़ गई थी कि शायद सरकार इसे बन्द करने पर विचार कर रही है, जो गरीबों के लिए एक घातक कदम होता। क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराये जाने की होनी चाहिए, न कि उनसे रोज़गार छीनने की।

मैंने अभी तक इसके बारे में जो देखा एवं समझा है, उस पर इस योजना की कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। जैसे-सभी राज्यों में इसमें मज़दूरी एक जैसी नहीं है। गरीबों को समान रूप से उनकी मज़दूरी नहीं मिलती है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ है, जिसके कारण वहाँ मज़दूरी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। अतः पिछड़े राज्यों के उनके अनुपात में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस योजना में मिट्टी के कार्य को प्रमुखता दी गई है। यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे मज़दूरों को अधिक से अधिक काम मिलेगा। लेकिन अगर गाँवों में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधायें जो आवश्यक है, उसे भी शामिल किया जाता है तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जायेगी और गाँवों के विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पायेगी।

इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। जैसे कि जहाँ नदी का कटाव हुआ और कार्य होना है, किंतु कटाव काफी गहरा है, यानि मज़दूर उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, उस विशेष परिस्थिति में मशीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः मशीन की जरूरत के हिसाब से इस योजना में काम लेने की व्यवस्था हो, ऐसा मेरा सुझाव है। आज मज़दूरों के भुगतान में तो काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धाँधली हो रही है। ठेकेदार से लेकर बैंक या डाकघर में उनसे प्रतिशत में पैसा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए और उन्हें डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, जिससे अपना पैसा मज़दूर कहीं भी निकाल सकें। दूसरा ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। हाजिरी किसी की किसी के नाम या अधिक हाजिरी, फिर काम नहीं होने के एवज में भी हाजिरी। यह तो मुख्य धाँधली इस योजना में चल रही है, जिसे सरकार रोकने में असफल रही है। इस पर तुरंत कोई मैकेनिज्म बने और सुधार हो, क्योंकि इससे मज़दूरों का ही नुकसान होता है। मज़दूरों का मिनिमम गारंटी भी बढ़े।

देश आगे बढ़ रहा है, किंतु मज़दूरों को वहीं का वहीं दबाए रखने की साजिश चल रही है, यह बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मिनिमम गारंटी कम से कम 250 से 300 दिनों का प्रति सालाना होना चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र पूरी तरह सुदृढ़ हो, ऐसी माँग इस सदन में हमेशा होती रही है, लेकिन इस पर कोई खास पहल नहीं होती है। जिसके कारण इस योजना में हमेशा शिकायत आ रही है। अतः मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। खासकर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के बारे में चाहता हूँ। वहाँ या तो छोटी-छोटी सीढ़ी बनाई जाती है या उनके पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसे भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ के गरीब मज़दूरों को जैविक खाद बनाने की भी सुविधा इस योजना में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मज़दूरों को होनी चाहिए। जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह एक अत्यंत ही लाभप्रद पहल साबित होगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज जैविक खाद और खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अतः यह पहल काफी लाभदायक हो सकती है। मजदूर वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध पत्ते और खरपतवार आदि को ही जैविक खाद बनाने में उपयोग करेंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ जायेगी।

अंत में काम के बदले कमीशन पर लगाम लगाने की जरूरत है और गरीब मज़दूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोज़गार इस मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है।

*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA):I wish to express my views on the important subject like MGNREGA. I wish to quote an English writer Quotation, who quote in her novel, "If you give a man a fish he is hungry again in an hour. If you teach him how to catch a fish you do him a good turn." Since the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) came into existence in 2006 has only provided a man a fish.

Since its existence, it received all-round criticisms for hardly creating assets in the rural areas. Under the programme, the ratio of wage costs to material costs was 60:40. When 60 percent of cost was utilised in paying wages, how can it create durable assets? There no measurement of assets creation or result of such activities, and it is only an invitation to corruption. The wage payment under MGNREGA was made on the basis of measurement of work completed.

Over the year, fabrication of jobs cards and largescale corruption in villages, benefiting the gram pradhans and their henchmen was witnessed.

It must the commitment of any progressive Government to provide wage and self-employment opportunities in rural areas. However, MGNREGA works should be more productive, asset creating and substantially linked to agriculture and allied activities.

Rural India, which is reeling under infrastructure deficit, genuinely needs a programme which tackles such shortcomings, especially like building toilets, construction of buildings for gram panchayats and providing irrigation facilities. In fact, special emphasis has to be shown on quality of assets in terms of their design, utility and durability.

This is very important. Our Hon'ble Chief Minister also promised to link MGNREGA with agriculture. I request the Government of India to support this idea.

I want to quote the latest Economic Survey here. The survey painted a bleak picture of MGNREGA and suggested to revamp, reorganisation and convergence of the social sector scheme. The Survey noted, "Lack of principal role in planning, execution and monitoring and low awareness, resulting in lack of ownership and ill-conceived planning."

I have few questions and I request the Hon'ble Minister to give clarifications during the reply. Who will decide the assets creation in rural areas? Will the Rural Development Ministry create a list of such assets where the programme is run? And who will lay down mechanism to execute and maintain such projects?

In order to create durable assets, convergence of the MGNREGA with the schemes of other departments are highly needed. The areas like maintenance of assets, evaluation and impact study by third party agency to make it leakage free have to be concentrated. I request the Hon'ble Minister to plug in all these defects while revamping the MNREGA.

****डॉ. यशवंत सिंह (नगीना)** ः मैं ग्रामीण आँचल के गरीब परिवार का रहने वाला एक दलित समाज का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने जीवन में गरीबी तथा सामाजिक अस्पर्श्यता को करीब से देखा है। मैं आज भी उन दिनों को नहीं भूल पाता जब एक कच्चे घर के कोने में भैंस बंधती थी तथा दूसरे कोने में एक बच्चे के रूप में केरोसिन ऑयल से जलने वाली डिबिया से बच्चे के रूप में मैं अध्ययन करता था। गरीबी की लाचारी तथा गरीबी के दंश को वही समझ सकता है जिसने इसको सहन किया है। राजा के घर पैदा होने वाले को गरीब का जीवन ही मज़ाक लगता है। गरीबों के हित के लिये बनने वाली योजनाओं को पूर्ण रूप से गरीबों की राय पर बनाया जाना नितांत आवश्यक है। जब हुकम देव नारायण जी अपनी बात कह रहे थे तो गरीबों का दर्द झलक रहा था, इस बात पर जोर देते हुये मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।*

यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं एक जिनको गरीबों से मतलब नहीं वे इस योजना में खामी निकालते हैं तथा दूसरे वे लोग हैं जो इसमें गरीबों का जीवन देखते हैं। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के लिये गरीब जिम्मेदार नहीं है।

आज गाँव में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुयी है। एक ओर जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति के परिवार में तीन बेरोज़गार बच्चे हैं वहीं ऊपर से गाँव में रोज़गार के अवसर दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। एक ओर जहाँ आधुनिकीकरण एवं मशीनों का विकास हुआ है दूसरी तरफ उन लोगों का जिनका अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, उनके रोज़गार छूट गये हैं। आज सड़क पर फावड़े द्वारा होने वाले कार्य मशीन द्वारा किये जाने लगे हैं। कुम्हार द्वारा किये जाने वाले कामों को डिस्पोज़ल प्लास्टिक ने छीन लिया है। भट्ठा मज़दूरों का रोज़गार खनन पर प्रतिबन्ध ने छीन लिया है, चर्मकारों द्वारा बनाये जाने वाले जूतों के कारोबार को बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने छीन लिया, खेती छोटी होने से किसान मज़दूर को न तो पूरा वेतन दे पाता है और न ही लगातार रोज़गार दे पाता है तथा किसान की खेती भी आज मशीनों पर आधारित हो गयी है जिसके कारण मज़दूर को 12 महीने रखना उसकी आवश्यकता से बाहर है। धीरे-धीरे गाँव के सभी कारोबार खत्म होते जा रहे हैं जिससे गाँव में बेरोज़गारी बढ़ी है।

ऐसी हालत में गाँव का मज़दूर ऊपर भगवान तथा नीचे सरकार पर ही आशा रखता है ऐसे में सरकार नरेगा जैसी योजना लाई। गरीबों के लिये आवास जैसी योजना लाई। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मकसद को लेकर योजना चलनी चाहिये थीं ठीक उसके विपरीत आचरण हुआ और हद तो तब हो गयी जब इन योजनाओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा जी का नाम जोड़कर मज़ाक किया गया। नरेगा में मज़दूरी सामान्य मज़दूरीकी आधी रखी गयी। उदाहरण के तौर पर पश्चिम उ.प्र. में जहाँ मज़दूर 250 से 300 रूपये की मज़दूरी पाता है नरेगा में 120 से 140 रूपये दिये जाते हैं जिसके कारण मज़दूर काम नहीं करना चाहता है तथा रोज़गार देने वाले काम नहीं करना चाहते तथा नाम कागज़ों में दर्ज होकर बंदरबाट हो जाती है और अगर किसी ने काम कर दिया तो मनरेगा के पेमेंट को मिलने में महीनों लग जाते हैं। उसी प्रकार इस महँगाई के दौर में इंदिरा आवास के नाम पर उतना पैसा दिया जाता है जिससे सही से बाथरूम भी नहीं बन पाता इस योजना के पैसे में 25 से 30 प्रतिशत भ्रष्टाचार होने के बाद योजना का पैसा तीन किस्तों में देकर गरीब व्यक्ति को साल भर से भी ज्यादा बिना छत के रहने को मज़बूर किया जाता है। मकान बने या न बने परंतु बाथरूम की प्रतिबद्धता जरूर रखी जाती है। मेरा मानना है कि ऐसी योजनाऐंं गरीबों के लिए मज़ाक हैं तथा इन योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर हमारे महापुरूष अवश्य रोते होंगे। अगर किसी को 120 रूपये प्रतिदिन देकर 100 दिन का वेतन दिया 12000 रूपये होता है लेकिन 2013-14 की रिपोर्ट से उपलब्ध है कि कुल औसत 45.7 दिन का रोज़गार मिला जिसका मतलब औसत साल भर में 6000 रूपये से भी कम इसमें 50औ भ्रष्टाचार जिसकी पूरे देश में जाँच चल रही है तो औसत एक व्यक्ति को साल भर में 3000 रूपये मिलते हैं जो औसत 250 रूपये प्रति माह आता है, जिस पर सरकार तथा बाहर सबका विरोध, यह गरीबों का मज़ाक के अलावा कुछ नहीं। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ एक लाख तिरेसठ करोड़ सात सौ चौवन करोड़ रूपये उपयोग में लाये गये हैं तो 2जी स्पैक्ट्रम जैसे एक घोटाले से भी कम हैं।

जिस योजना से विकास न हो, जिस योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त हो तथा रोज़गारोन्मुख न हो, ऐसी योजना का चलना न गरीब के हितकर है न ही सरकार के लिये हितकर है। मेरा मानना है कि मनरेगा में मैटेरियल कॉस्ट को बढ़ाकर 49औ करना मज़दूरों के हक पर आक्रमण है। मज़दूरों के लिये कार्य का बजट अलग से सुनिश्चित हो, पारदर्शी हो, जिसमें भ्रष्टाचार का नाम न हो, रोज़गार की राशि सीधे जनधन खाते में जाये तभी कुछ भला हो सकता है। काम क्या कराना है यह एक एजेंसी की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

मेरा मानना है कि इन योजनाओं के स्थान पर सामूहिक डेयरी, सरकार की सहायता से सामूहिक उद्योग लगाकर उद्योगों को इन गरीब लोगों को रोज़गार देने हेतु तैयार किये जाये तथा जो उद्योग रोज़गार दे सकें उसे इस राशि से मदद करके गरीब की दो जून की रोटी सुनिश्चित की जाये। यह नितांत आवश्यक है कि गरीब जरूर मदद चाहता है, लेकिन उनकी मदद का जिम्मा न्यायकारी लोगों के हाथ में हो, भ्रष्टाचारी लोगों के न हो। रोज़गार, मकान देना सरकार की प्रतिबद्धता है जिसे पूरा करना ही होगा योजना का स्वरूप बदलकर इसे और विशाल करने की आवश्यकता है जब सबको रोज़गार मिलेगा तभी कहा जा सकता है कि सबका साथ-साथ विकास का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना में अभी तक गड्ढ़े खोदना तथा गड्ढ़े भरना दो काम मनरेगा से हुये उत्पादन कार्य नहीं किये गये। यह जरूरी है कि उत्पादन हो तथा रोज़गार चंद दिन तक चलने वाला न होकर परमानेंट चलने वाला हो। चाहे उसमें लगे लोगों को 365 दिन रोज़गार दिया जाये। जिस तरह से योजना आयोग को बदला जा रहा है, उसी प्रकार पुरानी स्कीमों का पुर्णोद्धार करके दुरूस्त किया जाये। अधिक से अधिक गरीबों को रोज़गार मिले मैं ऐसी आशा करता हूँ।

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा)** ः मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की देशव्यापी योजना स्वयं में एक महत्वपूर्ण योजना थी। लेकिन मैंने योजना शुरू होने के बाद से आज तक तत्कालीन सरकारों व दलों से जुड़े लोगों को इस योजना के सफल संचालन के प्रयासों को आगे बढ़ाते नहीं देखा। खासकर तब जब राज्यों में चलने वाली ग्रामीण विकास की लगभग सभी योजनाओं को इसमें समाहित कर दिया था। पूर्व की सरकारों ने प्रारंभ में देश के चुनिंदा ज़िलों और फिर सम्पूर्ण देश में इस योजना को चलाने का काम किया था। देश के अनेक राज्यों में इस योजना के परिणाम भी अच्छे आए। मैंने स्वयं पाया कि उत्तराखण्ड में काम करने वाले सैंकड़ों बिहार के श्रमिक मनरेगा के बिहार में लागू होने के बाद वहाँ से लौट गये। उत्तराखण्ड में प्रारंभ इस योजना को दो ज़िलों और बाद में संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। उत्तराखण्ड के मेरे अनुभव बताते हैं कि इस विशाल योजना को पूर्ववर्ती सरकारों ने लागू तो किया, लेकिन इसके ढंग से चलाने की उनमें इच्छाशक्ति का आभाव था। मांग आधारित इस योजना में सरकारी तंत्र ज़िलों को सीमित बजट देता था। ग्रामीण विकास के केंद्र विकास खण्डों में न तो योजना को संचालित करने और न ही मॉनिटरिंग करने वाला स्टाफ था। इसके अतिरिक्त पूरी योजना सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितताओं व वित्तीय विसंगतियों का शिकार बनी। अकेले उत्तराखण्ड के मेरे जनपद अल्मोड़ा में 5 दर्जन से अधिक गांव हैं जहाँ आज तक मनरेगा का एक भी काम शुरू नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सैंकड़ों ऐसे गांव हैं जहां सरकारी तंत्र ने बोगस जॉब कार्ड बनाकर योजनाकारों को खुश करने के प्रयास किए। योजना जहां 100 दिन के रोज़गार का दावा करती है, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 100 दिन का रोज़गार पाए हों। मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्तमान में योजना के तहत 2 लाख 81 हज़ार 853 जॉब कार्ड धारक हैं यदि 100 दिन के रोज़गार की बात करें तो सरकारी आँकड़ें बताते हैं कि इस प्रकार के परिवारों की संख्या 183 है। जॉब कार्ड दलितों, श्रमिकों, महिलाओं जिन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलनी थी, को योजना में हाशिए पर रखा गया। काम न मिलने पर किसी श्रमिक को मुआवजा अथवा भत्ता दिया गया हो, यह भी उत्तराखण्ड में नहीं देखा गया। योजना में सोशल ऑडिट की व्यवस्था तो है, लेकिन राजनीति से प्रेरित अथवा अन्य प्रलोभनों के कारण यह काम करने वाली टीमें भी निप्रभावी ही रही। अनेक स्थानों पर भारी मशीनों द्वारा काम कराकर उसे श्रमिकों के जॉब कार्डों में दर्ज किया गया तो अनेक स्थानों पर अस्थाई निर्माण कर बजट की बंदरबाट की गई।

उत्तराखण्ड जैसे आपदा प्रभावित प्रदेश जहाँ 2010 की आपदा के बाद आज तक सरकारों ने मनरेगा द्वारा आपदा पुनर्निर्माण का कार्य करने की बातें कही और अनेक शासनादेश भी पारित किए गये, लेकिन आपदा पुनर्निर्माण के तहत मनरेगा का बजट नहीं लगाया गया अन्यथा उत्तराखण्ड का आज कायाकल्प हो गया होता। पंचायतों के सुदृढ़ न होने, ग्रामीणों में पर्याप्त जागरूकता का न होना, ठेकेदारी संस्कृति के योजना पर हावी होने के साथ संचालित करने वाले स्टाफ पंचायत सचिवों, कार्मिकों आदि के पदों में भारी कमी व सरकारों की अनिच्छा के कारण हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास की इस योजना को पुनः नए संशोधनों व जवाबदेही के साथ शुरू करने की आवश्यकता है जिसमें राज्यों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा कर्मचारियों व अधिकारियों की भी ठोस जिम्मेदारी तय कर ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

***श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट)** ः जैसा कि आप देश के विकास के लिए Digital India, Make in India and Skill Development पर बात कर रहे हो, जो ठीक भी है, परंतु इसे मूर्त रूप देकर हर भारतीय जनता तक पहुंचने के लिए जिसके मार्फत मेरे पास मेरे संसदीय क्षेत्र से एक प्रोजेक्ट है, जिसके संज्ञान के फलस्वरूप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कमीशन, परिषद मंत्रालय इत्यादि में विचाराधीन चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नामः-

Research Goverment of India (RGOI)/

Doctrative Lagislative/Sodhpalika,,

Under Govt. official Language English है।

जिसके लाभः-

1. गांव-गांव से राष्ट्रीय स्तर तक रिसर्च का माहौल व क्रांति आयेगी।

2. सबके पास अपने रिसर्च से अपना खुद का रोज़गार होगा।

3. अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे।

4. 3-5 करोड़ लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा।

5. हमारा भारतीय समाज नया आयाम लेगा, रहन-सहन, खान-पान, शिष्टाचार, पन्चुएलिटी इत्यादि।

6. हम विश्व में अपने भारत को सबसे ज्यादा सक्षम, पावरफुल, सांस्कृतिक देश बना लेंगें।

7. हमारे देश को बहुत सुन्दर एवं सौन्दर्यपूर्ण भारत बनाने में ख्र्द्यड्ढद्धदत्दश्रू ड्टड्डन्नू लाभकारी सिद्ध होगी।

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** मनरेगा योजना बहुत ही उपयोगी योजना है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसके ठीक से क्रियान्वयन न होने से यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी है। इससे गाँवों से बेरोजगारों का पलायन नहीं रूका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में गांवों में सपरिवार लोगों के पलायन से घरों में ताले लटके देखे जा सकते हैं। यह सब काम के लिए बाहर गए हुए लोग हैं। मेरे विचार से इस योजना में मजदूरी की दरें बढ़ाया जाना चाहिए साथ ही इसके भुगतान में हो रहे विलम्ब को रोका जाना चाहिए। इसके लिए एक सप्ताह से उपर का समय नहीं लगना चाहिए। फर्जी जाब कार्डों की जांच होनी चाहिए। स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए मजदूरी एवं मैटेरियल में 51 औ एवं 49 औ का क्रमशः रेशियों होना चाहिए। जिससे कि गांवों की गलियां व नालियां बन सके। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने की कारगर व्यवस्था होना चाहिए साथ ही इसे अन्य विभागों जैसे वन विमान आदि को इसके धन की कार्यदायी संस्था नहीं बनाना चाहिए। गाँवों में सभी खेतों की मेड़ों को उँचा करने का काम इस योजना से कराया जाना चाहिए।

***श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :** भारत में स्वतंत्रता पूर्व से ही अकाल अथवा अन्य विभीषिकाओं के समय रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निर्माण कार्य करवाने की परंपरा रही है। स्वतंत्रता के बाद अनेक रूपों में रोजगार उपलब्ध करवाने की योजनाएं विभिन्न केन्द्र सरकारों ने योजनाएं प्रारंभ की। स्वतंत्र भारत में महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई यह परंपरा अंत्योदय के रास्ते से होती हुई 2006 में देश के 200 जिलों से प्रारंभ हुई, इस महत्वपूर्ण योजना के रूप में हमारे मध्य है।

जिस प्रकार इस की पूर्ववर्ती योजनाओं ने भी लागू होने के बाद समीक्षा के दौर में बेहतरी के लिए नए स्वरूप और या यूँ कहूँ कि और अधिक प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए नए क्लेवर में आयी है

।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस महत्वपूर्ण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसकी पुनर्समीक्षा व पुनरावलोकन की आवश्यकता है ताकि यह अधिक प्रभावी तथा सर्वव्यापी हो सके।

धन्यवाद।

***डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड) :** MGNREGA as the name suggests this Act was deviced to ensure that the unemployed, underprivileged common man of rural India gets an opportunity to work & earn his living from it; which is not only an opportunity but is his/her right.

MGNREGA का जन्म महाराष्ट्र सरकार ने 1972 में बनायी " ग्रामीण रोजगार हमी योजना " पर आधारित है। इस बात का मुझे गर्व है कि इसकी बुनियाद महाराष्ट्र में रखी गयी थी और महाराष्ट्र में MGNREGA काफी अच्छे से चली। मेरा ये मानना है कि इस एक्ट का डाईल्यूशन ना किया जाये। अगर कुछ खामियाँ है तो वो खामियाँ दूर करे, ना की एक्ट को ही दूर करे।

मैं एक डॉक्टर हूं, अगर किसी का नाखून खराब हो जाये तो हम पूरा हाथ नहीं काट देते, नाखून का इलाज करते है। कुछ सुधार जैसे कि अकुशल; कुशल रेशियो 60: 40 है उसके बदले इसे 51: 49 किया जाये तो लेबरस् का भार कम होकर भी काम में रूकावट नहीं आयेगी।

इसके अलावा जो गड़बड़ी या घोटाले इस योजना के तहत हो रहे हैं उनको रोकने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो सोशल ऑडिट की तकनीक अपनाई गयी थी उसे पूरे देश में मैंनडेटरी बनाया जाये।

मैं महाराष्ट्र से आती हूँ जो एक सुखा पीड़ित राज्य है, वहां सैकड़ों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। इस साल भी ये आकड़ा काफी बढ़ा है। इस साल भी ये आकड़ा काफी बड़ा है। इस नैसर्गिक विपदा के समय MGNREGA को डाइलुट करने के बजाय, सशक्त बनाया जाये ताकि सुखे से पीड़ित लोगों को रोजगार का जरीया मिले , लोगों के हाथ को काम और मैंह को निवाला मिले। पीड़ित किसानों को सिर्फ मुआवजा देने के बजाय अगर काम उपलब्ध कराया जाये तो उनको और उनके परिवार को काफी राहत मिलेगी

अंततः MGNREGA को डाइल्यूट करने के बदले उसे रिफार्म करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका उपयोग मिलने की व्यवस्था की जाये ऐसी प्रार्थना करती हूँ।

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) :** एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाने वाला एक अधिकार आधारित मजदूरी योजना है। प्रत्येक परिवार को जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल है, शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन की गारंटी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत अच्छी योजना है। (2012/35 हजार, 2013/33 हजार, 2014/34 हजार)। लेकिन योजना में कुछ कमियां रहने से तकलीफें बढ़ गई हैं।

मनरेगा की बारीकियों को समझने पर इस बात का अंदाजा सहज ही लग जाता है कि इसकी सफलता संदिग्ध है। इसके तहत ज्यादातर कच्चा कार्य करने का प्रावधान है। योजना की शुरूआत के दिनों में ही गांव के चारों तरफ की सड़कों पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है। जिस किसी स्थान पर जल संरक्षण वगैरह के लिए कुआं-तालाब खुदाई की जा सकती थी, वह की जा चुकी है। अब गांवों के आसपास कहीं भी कच्चे कार्य करने की गुंजाइश नहीं बची है। जॉब कार्ड बनाए। समीक्षा मंत्रालय ने की तो कुछ कार्डधारकों ने एक दिन भी काम नहीं किया। ऐसे कार्डधारकों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। इसका मतलब काम के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। नए रूट रेलवे के सर्वे हुए हैं।

इसके चलते दिन-ब-दिन काम की मांग कम होती जा रही है। जैसी कई जगह 2011/12 52 दिन, 2013/14 में 51 दिन हुआ, इसकी और एक वजह है। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण अगर किसी ब्लॉक में कम डिमांड के हिसाब से 100 मास्टर जनरेट होते हैं तो स्टाफ 3 लोगों (इंजीनियर) रहते हैं। अगर 7 दिन में पेमेंट करना है। 3 इंजीनियर 100 मास्टर के मेजरमेंट कब लेंगे। मास्टर कैसे बनाएंगे। इसलिए जो मजदूरी 7 दिन में मिलनी चाहिए उसके लिए 2 महीने लगते हैं। बिहार में तो दर्जनें महिलाओं का मजदूरी का भुगतान सालभर से प्रलंबित है। रेग्यूलर जो इंजीनियर है उन्होंने संगठन के माध्यम से मनरेगा का काम करने के लिए असमर्थता जताई। उसमें संशोधन लाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर मजदूरी देने में देरी होगी तो ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक दोषी माना जाएगा। उसकी सेलरी से वसूली कर मजदूरी चुकाई जाएगी। इसलिए मजदूरों की नोंद करने के लिए वो आगे नहीं आता। फिलहाल उसपर रोक लगी है।

कई काम में ये रेषों 49औ-51औ करना जरूरी है। जैसे कुंआ-तालाब में, क्योंकी अगर रोक लगादी, 40औ मजदूरी से काम नहीं होता। इसलिए काम अधूरा रह जाता है। उसमें संशोधन होना जरूरी है।

मनरेगा संकट 50औ काम ग्राम पृचायत स्तर/सीईओ/बीडीओ/ग्रामसेवक

50औ काम एजेंसी जिलाधिकारी/तहसीलदार, कृषि वन

सार्वजनिक बांध काम

हालांकि यह रेषो हैं। ग्राम पंचायत 50औ है। लेकिन वह 70औ काम करता है।

एजेंसी 50औ, वह 30औ काम करती है और सारे अधिकार 30औ काम करने वाले कलेक्टर और तहसीलदार के पास है। इसमें संशोधन कर जि. पं., सीईओ को अधिकार मिले (उसके काम)। 100 रूपये कंटेनगिरी बिल भी डालता है तो उन्हें जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ता है।

सूचना

1. ग्राम पंचायत रेषों 60/40 मजदूरी मटेरियल काम में कमी आई है। बदलाव सोचना जरूरी।

2. कुशल/अकुशल प्रमाण 51/49 करना चाहिए।

3. 10 ग्राम पंचायत समूह बनाकर एक इंजीनियर नियुक्त हो। शीघ्र मजदूरी मिलेगी।

4. 365-100 बढ़ाकर 150 करना जरूरी है।

5. वन हक के पट्टे में 150 दिनों से 200 दिन करना जरूरी।

6. कुछ इलाकों में किसान को खेत के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते इसलिए पेरणी, घास निकालना, घास का रोपण करना मनरेगा में शामिल किया जाए।

7. योजना केन्द्र सरकार की है इसमें एमपी का रोल क्या है।

विलंब से किए गए भुगतान के लिए/विलंब के दिनों के लिए 5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी। इसके बजाय स्टॉक बढ़ाके वक्त पे भुगतान हो।

इसी बीच पिछली सरकार मंत्री समह गट ने मनरेगा की कार्य अवधि संख्या बढ़ाकर 100 से 150 दिन किया था लेकिन यहां भी गड़बड़ी की गई। प्रचार ऐसे किया गया जैसे यह व्यवस्था पूरे देश के लिए हो। जबकि यह प्रावधान सिर्फ आदिवासी और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वालों के लिए हुआ। एक तरफ कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर सौ से 150 दिन कर दिया गया वहां बजटीय आवंटन में वृद्धि मामूली यानी 100 करोड़ रूपये दिए, जरूरत इससे कहीं ज्यादा थी।

मैं मानता हुं, सभी को पता है इस योजना में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। भ्रष्टाचार के लिए योजना कैसे जिम्मेदार है। सरकारी कर्मचारी, दलालों और ठेकेदार सरकारी योजना की लूट में लगे हुए है। उनको रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। लेकिन हमने योजना के कानून इतने सख्त कर दिए की मजदूरों ने काम मांगना ही बंद कर दिया और जहां कम समय में वेतन मिलता है वहां काम करने लगे।

सरकार मनरेगा आगे भी भली-भांति जारी रखने के लिए अपनी ओर से हर मुमकिन मदद देगी। योजना की पहुंच कम करने के बजाए इसे और आर्थिक, व्यवहारिक एवं पारदर्शी बनने की कोशिश की जाए। मसलन किस तरह से ठेकेदारों और बिचौलियों के चुंगल से श्रमिकों को मुक्त कराया जाए और उन्हें उनके श्रम का वाजिब भुगतान मिले। किस तरह इस योजना के तहत होने वाले कार्य पर कड़ी नजर रखी जाए। किस तरह मजदूरों को ज्यादा उत्पादक कामों में लगाया जाए। जाहिर है इसी तरह से ही योजना के नतीजे बेहतर हो सकते हैं।

सरकार यदि फिर भी योजना में कुछ संशोधन या बदलाव करना चाहती है। इस विषय में आर्थिक, सामाजिक विशेषज्ञों और सीधी जनता से राय लेनी चाहिए। मनरेगा देश के करोड़ों लोगों के लिए भरण-पोषण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार को इस पर कोइ भी फैसला लेने से पहले खूब सोचना चाहिए, विचारना चाहिए वरना सरकार की नियत पर सवाल उठेंगे।

धन्यवाद,

* SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed in 2005 to provide employment to the deserving unemployed youths of Rural area at least for one hundred days in a year. If it is not provided, Government has to pay his remuneration. In this way, it was the first scheme, which was having legal support under the Act. The other object was to create the duration assets.

The MGNREGA started in 2006 covering 200 district of the country. In April, 120 more district were brought under this scheme. On 1st April, 2008 this scheme was given to all the district.

Key Achievements- In the last eight years 1,63,754.41 crores has been distributed directly on wage component only. During this period, 1657.45 crore man days generated and five crore house holds were benefitted. The major port of the beneficiaries from SC and ST commnities 45% to 50% of the beneficiaries are women.

Findings from the Fields-

1. MGNREGA provides work when there are limited alternate employment opportunities.
2. Increase in agriculture production.
3. Water conservation and repairing works of Tanks, canals and drainage were taken under this.

Challenges-

1. Low awareness of the programme and public participation.
2. Capacity building.
3. Quality, durability and usefulness of the assets.
4. Delay in wage payment.
5. Improper planning.
6. Lack of outcome based monitoring.

Although this scheme is excellent but implementation part was poor. Government should review the scheme and following points should also be considered.

1. Timely payment of wages through Jan Dhan Yojana bank accounts.
2. Genuine unemployed persons should be given the employment.
3. Man and Material ration should be 50:50.
4. All categories of farmers should be benefitted under Land Development works as well as water conservation works. Even in the digging of wells all farmers should be taken care of.
5. Trained staff should be engaged in MGNREGA.
6. Corrupt practices should be curbed.

So, in my opinion MGNREGA should be reviewd.

***श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती)** ः यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट-खसोट हुई है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेईमानी का पर्याय बन कर रह गयी है।

जब यह योजना लायी गयी थी तो तमाम लोगों ने इस योजना के पक्ष में कसीद पढ़े थे, कुछ लोगों ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में बेहद क्रांतिकारी कदम माना था। इस योजना को अमलीजामा पहनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि बैसाखियों के सहारे चलने वाली कमज़ोर सरकार में भ्रष्टाचार का दावानल इस योजना के सपने को जलाकर राख कर देगा। अति उत्साही यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना के निर्माण के समय केवल कानून बना देना ही इस योजना की सफलता की गारंटी मान लिया, जबकि इसके पहले समेकित ग्रामीण विकास योजना यानी आई.आर.डी.पी. तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का हश्र पहले देखा जा चुका था। मनरेगा योजना का दायरा बड़ा था और इसके लिये निर्धारित राशि भी काफी बड़ी थी, पर राशि का आकार बड़ा होने पर कोई विवाद नहीं है। यू.पी.ए. सरकार यह भूल गयी कि ग्रामीण विकास के लिये धन का स्थानांतरण बढ़े पर इसके लिये उसकी योजना ऐसी बने जिसमें बंदरबांट की गुंजाइश न के बराबर हो और उसका निवेश सामाजिक, आर्थिक तरीके से उत्पादक जरूर बने।

यू.पी.ए. सरकार के तत्कालीन चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री जी ने मनरेगा की भुगतान प्रणाली को हाईटेक कर वाह-वाही जरूर लूटी, लेकिन न तो फर्जी मज़दूरी रोकी जा सकी और न ही मज़दूरी में लिया जाने वाला कमीशन ही रोका जा सका। आम जनता से लेकर राजनीतिक वर्ग के सभी लोग यह मानते हैं कि मनरेगा में केवल पैसे की लूट हुई है और इसके कई बड़े साइड इफेक्ट भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों ने खुलकर कहा कि यू.पी.ए.-2 के दौरान देश में जो आर्थिक संकट और महंगाई का नज़ारा देखने को मिला है उसकी एक बड़ी वजह मनरेगा जैसी योजना है। अर्थशास्त्र का एक बेहद सरल सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में निवेश होने वाला पैसा जब उत्पादन न करें तो वह स्फीतिकारी हो जाता है।

कुल मिलाकर यू.पी.ए. सरकार द्वारा चलायी गयी सामाजिक विकास की योजनाएं एक व्यापक विजन, प्रशासनिक यथार्थ और दूरदर्शी सोच के अभाव में महत्वकांक्षाओं को अंजाम नहीं दे पायी और ये सभी योजनाएं पॉपुलिज्म पॉलीटिक्स के शिगुफे ही साबित हुई।

मनरेगा को कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार प्रचारित किया था जैसे इसके आने से बेरोज़गारी समाप्त हो जाएगी और चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था के अभाव में मनरेगा की भारी लूट-खसोट पर नाराज़ जनता ने अपना भारी रोष प्रकट किया जिसके कारण कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गयी।

मनरेगा के लिए बनायी गयी नीतियाँ ऐसी हैं कि मिट्टी भरो और मिट्टी कोड़ो, इसमें परिसंपत्ति सृजन की नगण्यता साफ झलकती है। मेरा मानना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये धन का हस्तानांतरण और अधिक बढ़ाना चाहिए, परंतु यह बहुत जरूरी है कि इन पैसों से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक आधारभूत संरचना यानी सड़क, बिजली, सिंचाई, बैंक, वाणिज्यिक केन्द्र व सामाजिक आधारभूत संरचना यानी स्कूल, अस्पताल, पेयजल, शौचालय, खेलकूद केन्द्र पर भारी निवेश किया जाए। इन मदों पर किया जाने वाला निवेश स्वयंमेव रोज़गार का सृजन करेगा। इसके लिए जरूरी है कि मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सिंचाई योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, सर्वशिक्षा अभियान व अन्य योजनाओं को मिलाकर सिर्फ एक ग्रामीण आधारभूत विकास योजना का निर्माण किया जाए जिसमें पूंजीगत व सामाजिक दो विभागों में बांटकर ग्रामीण विकास के कार्य को अंजाम दिया जाए तो देश की तस्वीर कुछ और होगी।

यदि यू.पी.ए. सरकार को मनरेगा योजना के तहत नौजवान बेरोज़गारों व ग्राम प्रधानों को मुफ्त पैसे ही बांटना था तो इससे अच्छा था कि ग्रामीण इलाकों के सभी कमज़ोर तबकों वृद्ध, विकलांग, विधुर, बीमार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उन्हें पेंशन व बीमा सुविधा प्रदान करने का कदम कहीं ज्यादा बेहतर होता, जिसके लिये ये लोग कई बाद दिल्ली की सड़कों पर अपनी दस्तक दे चुके हैं।

हमें यह नहीं भूलना होगा कि देश में अभी जो भी ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है उसमें स्थानीय कारकों से ज्यादा बाह्य कारकों का ज्यादा योगदान रहा है। देश के श्रम बाज़ार में मांग और पूर्ति के कारकों की वजह से देश के तमाम महानगरों व औद्योगिक केंद्रों से ग्रामीण मज़दूरों की भारी मांग हुई और बाहर से कमाए गए पैसे ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति और उपभोग बढ़ाने में बेहद ज्यादा कारगर हुई है।

यह कहना कि मनरेगा से ग्रामीण मज़दूरों का पलायन रूक है, यह पूरी तरह गलत है। उदाहरण के लिए दिनांक 23/24 अगस्त, 2013 की रात्रि में जिला बाराबंकी की रामनगर तहसील क्षेत्रान्तर्गत स्थित घाघराघाट पर घाघरा नदी में एक डीसीएम दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें मसहाकला के 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी एवं 07 व्यक्ति लापता हो गये थे, सेमरा टटिहरिया के भी मज़दूर की मृत्यु हो गयी थी। श्रावस्ती जनपद के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री भानुचन्द्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को भेजी अपनी रिपोर्ट संख्या 2096/शि.लि.-जांच/13 दिनांक 28 अगस्त, 2013 में स्पष्ट लिखा है कि उक्त सभी व्यक्ति अत्यंत निर्धनतम परिवारों के हैं तथा सभी व्यक्ति अपने परिवारों की आर्थिक समस्या के दृष्टिगत दैनिक मज़दूर के रूप में कार्य करने के लिए लखनऊ जा रहे थे।

मेरा मानना है कि मनरेगा में 100 दिन की मज़दूरी भी मनमाने ढंग से दी जाती है और उसमें कमीशनखोरी इस कदर व्याप्त है कि मज़दूर के हाथ 50 प्रतिशत से अधिक मज़दूरी नहीं आ पाती है, वास्तविक मज़दूरों को मज़दूरी मिलती ही नहीं है, अतः मज़दूरों को आज भी अपने गांव से लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, लुधियाना आदि तमाम शहरों में मज़दूरी के लिए भटकना पड़ता है जो मज़दूर परिश्रम करके पूरे साल सुदूर ही सही अच्छी खासी कमायी कर लेते हैं उन्हें 100 दिन बिना काम किये आधे-अधूरे भुगतान के माध्यम से गांव में रोके रखकर एक भ्रांति कायम की गयी है। मनरेगा में या तो आमूलचूल परिवर्तन करके पूरी तरह पारदर्शी और वास्तविकता के धरातल पर लाया जाए अथवा इसे बन्द कर दिया जाए। इस बात से कभी इंकार नहीं किया जा सकता कि हम मज़दूरों के जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी के लिये मनरेगा को जिम्मेदार नहीं मान सकते यह उनके पास बाहर से कमाये गए पैसे की वजह से ही हुआ है।

यदि देश के हर ज़िले में एक ग्रोथ सेंटर पूरी योजना के तहत स्थापित होता है तो यह बहुत बढ़िया कदम होगा। जिस तरह से हर ज़िले में हम आई.टी.आई. के जरिये कौशल विकास की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देश में विकास केंद्रों की बात करें तो बहुत अच्छा कदम होगा पर इसके लिये यह जरूरी है कि नीचे के स्तर से मनरेगा जैसी योजना को निर्मूल कर ग्रामीण आधारभूत विकास योजना को ग्रामीण विकास का मूल बनाया जाये। हमारे ग्रामीण विकास का मूल मंत्र इन चार कार्यक्रमों में ही छिपा हैः-

1. आधारभूत संरचना विकास

2. मानव संसाधन विकास

3. व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें नकद पेंशन के साथ निर्धन निराश्रित बेघरों के लिए शौचालय युक्त आवास तथा

4. इन तीनों योजनाओं के जरिये अधिकतम रोज़गार सृजन का अभियान।

मनरेगा में किस हद तक लूट-खसोट हुई है, इसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री एस.एन.दुबे के कार्यकाल में सात लाख रूपए का फर्स्ट एड किट, डेढ़ लाख रूपए के कैलेंडर, छह लाख की लागत से पानी की टंकी का निर्माण, अस्सी लाख रूपए में टैंट की खरीद से जाहिर होता है।

जिला सोनभद्र में डी.एम. श्री पंधारी यादव के कार्यकाल में 250 करोड़ रूपए मनरेगा में हुए खर्च की जांच में भारी-भरकम गड़बड़ियों का जखीरा मिला। कई जगह चेकडैम कागज पर ही बने पाए गए। ज़िला गोंडा में मनरेगा का कोई तो नहीं हुआ पर दो करोड़ रूपए के खर्च फावड़े की खरीद में जरूर दिखा दिए गए।

यह तो महज कुछ बानगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना यानि मनरेगा हक़ीकत में भले ही यह ग्रामीणों को रोज़गार की पूरी गांरटी न दे पायी हो पर कुछ मुट्ठीभर भ्रष्टाचारी अफसर, नेता और दलालों की तिजोरी भरने की सौ फीसदी पक्की गारंटी देने वाली योजना साबित हुई है। मनरेगा विभाग से जुड़े सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि पूरे यू.पी. में कहीं भी कारगर तरीके से जांच करा लीजिए, मनरेगा में भारी-भरकम घोटाले की पक्की गारंटी है।

भ्रष्टाचार और लूट-खसोट की जननी बनी मनरेगा की दुर्दशा देख आखिरकार उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। सरकारी मशीनरी का ढुलमुल रवैया देख हाईकोर्ट ने यू.पी. के हर ज़िले में मनरेगा की जांच का आदेश दे दिया। जांच का फरमान होते ही शासन-प्रशासन से लेकर बिचौलियों के बीच हड़कंप मच गया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 50 हज़ार करोड़ रूपए घोटाले की भेंट चढ़ गए हैं। इतनी भारी-भरकम रकम को चट कर जाने वाले और कोई नहीं बल्कि बिचौलिए, बेईमान अफसर और नेता ही हैं। बगैर इनकी मिलीभगत के घोटाला करना दूर इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जांच एजेंसी का मानना है कि जांच का फंदा सैकड़ों ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, बी.डी.ओ. से लेकर बड़ी तादाद में पी.सी.एस. और आइ.ए.एस. अफसरों की गर्दन तक पहुंचने वाला है।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में ही सात ज़िलों में सी.बी.आई. जांच का आदेश दिया था। महोबा, सोनभद्र, कुशीनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, बलरामपुर में जांच हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। साठ फीसदी से ज्यादा सामानों की खरीद सिर्फ कागज़ों पर दिखाकर रकम हज़म कर ली गयी। कई जगह फर्जी भुगतान के बिल पकड़ में आए तो कई जगह बाज़ार से कई गुने महंगी दर पर समान खरीद के मामले सामने आए। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हज़ारों करोड़ रूपए के घोटाले की आशंका जाहिर की गई। डी.एम., डी.पी.आर.ओ., सी.डी.ओ., डी.डी.ओ., बी.डी.ओ., सेक्रेटरी से लेकर ग्राम प्रधान तक बाकायदा इसमें शामिल पाये गये।

मनरेगा के तीन नकारात्मक बिन्दु भी सामने आए हैं। पहला यह है कि इसके अंतर्गत गांवों में ही विकास कार्य कराए जाते हैं, जबकि गाँव में उत्पादक कार्यों की संभावनाएं सीमित होती हैं। गांव में तालाब एक बार ही खोदा जा सकता है, बार-बार खोदने का तो केवल स्वांग ही रचा जा सकता है। सड़क पर मिट्टी डालने का काम भी ज्यादा हो जाए तो सड़क कमज़ोर हो जाती है। मतलब यह है कि मनरेगा में नदी के किनारे चेकडैम बनाने जैसे व्यर्थ के कार्य करवाए जाते हैं, जिससे हमारी अर्थशक्ति अनावश्यक कार्यों में क्षय हो रही है।

मनरेगा के इस नकारात्मक पक्ष के प्रति सरकार की उदासीनता का कारण यही लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का पहला उद्देश्य सत्ता पर बना रहना होता है। इसलिये सरकार मतदाता को उलझाए रखना चाहती है ताकि वह हमेशा सरकार के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। दरअसल, सरकार की अंदरूनी मंशा गरीब को गरीबी से उबारने की नहीं है बल्कि उसे गरीब बनाये रखने की होती है। जैसे यदि सरकार लाभार्थी को सीधे 10,000 रूपये प्रति वर्ष दे दे तो लाभार्थी को सरपंच के चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि वह इस रकम से सरपंच की धांधली को उजागर करेगा। अतः सरकार ने युक्ति निकाली है कि नकद के स्थान पर रोज़गार दो ताकि लाभार्थी सरकारी तंत्र पर ही निर्भर रहे। दरअसल मनरेगा गरीब को परावलम्बी बनाने का एक नुस्खा है और यू.पी.ए. सरकार इसमें कामयाब भी हुई थी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से मनरेगा के स्थान पर ऐसी योजना लाई जाए जिसमें सरकारी धन की लूट-खसोट को रोका जासके, परिश्रम करने वालों को उचित मज़दूरी मिले

और सरकारी धन वहीं खर्च किया जाए जहां खर्च की आवश्यकता है। सरकारी धन से जो भी काम करवाया जाए उसका आधुनिक पद्धति से पूरा-पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच परख सही ढंग से की जाए ताकि काम टिकाऊ और उपयोगी हो, श्रम का सही उपयोग और धन का आवश्यकतानुसार उपयोग ही ग्रामीण अंचल को खुशहाल बना सकता है।

एक मानक तैयार करके ग्रामीण इलाकों का इस प्रकार विकास किया जाना जरूरी है जिससे गरीब जनता को अपने घर के निकट ही रोज़गार मिले और निरंतर रोज़गार मिले जिससे वह अपने जीवन स्तर को सुधार सके, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके।

मनरेगा पर लगी भारी धनराशि के अधिकांश भाग का दुरूपयोग होने के कारण मेरा यह मानना है कि मनरेगा योजना पर लगे तमाम धब्बों के कारण इसे बंद करके नयी योजना क्रियान्वित किये जाने की अति आवश्यकता है।

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The Union Minister of Rural Development had said that there is a need to strengthen MGNREGA rural job scheme as it has led to empowerment of poor people in the villages and also after taking charge of the Rural Development Panchayat Raj and Drinking Water Sanitation, which is highly essential for the survival of poor people in the rural areas. The valuable suggestions have come referring to rural job schemes and all necessary steps will be taken to. Strike a right balance between creation of jobs and building durable assets through this MGNREGA scheme. some new works also be added to the scheme. However, I acknowledge that if the above cited planning may have some problems in implementation and the Government will try to rectify the same. The issue of impending changes in the Land Acquisition Act will be made to bring about consensus on the issue added that the Government is not against industrialization. That the interest of the farmers should not be compromised at any cost. I am not in favour of acquisition of multi-crop lands.

There is a very good suggestion of building toilets in rural areas will be taken on war footing and massive awareness campaign will be launched for behavioral change as far as sanitation and cleanliness are our concern and this should be done on priority basis. 78,000 villages and habitation facing the problem and also that international expertise will be applied to solve the problem. There is no plan to dilute MGNREGA.

The Ministry has also undertaken a number of initiative with other Ministries/Departments for effective implementation of Mahatma Gandhi NREGA. Some of the major convergence/collaborations are:

Construction of individual Household Latrines (IHHL) under Nirmal Bharat Abhiyan of Ministry of Drinking Water and Sanitation.

Construction of Anganwadi Centres as a convergence project with the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme of Ministry of Women and Child Development.

Registration of work demand of MGNREGA workers through Anganwadi Sahayikas.

Convergence with Department of Sports and Youth Affairs 'Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan (PYKKA) scheme for construction of village playfield.

Convergence with Integrated Watershed Management Programme of Department of Land Resources.

Discussion are being held with Department of Electronic and Information Technology to expedite internet connectivity at GP level.

Regular review meetings are held with officials of UIDAI for seeing of ADHAAR numbers of MGNREGA workers in NREGA Soft.

No matter what is in the name of the poor scheme? You implement it successfully to see better India according to Mahatma Gandhi's philosophy, then it would be successful if this scheme is implemented.

As far as my constituency is concerned, I would like to draw the attention of the Minister to pay special attention to the Rural Poor who are living in the biggest villages of my constituency which are Bhusandupur, Kantala Bai, Sundarpur on the tangi block of Khurdha district of the state Odisha. This scheme should be implemented where the people are living below the poverty line.

*SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): The MGNREGA was enacted in 2005 with an intention to guarantee minimum 100 days employment for the rural people. This is a flagship programme. Though the Act was passed in 2005, yet its implementation came only in 2008-09. Roughly about 18,000000 crores rupees has been paid for this scheme since it took off in 2008-09. Going by the national figure more than 50% of the workers are women and about the same percentage as of SC and STs.

In my opinion this flagship scheme is very essential one, which aims at reducing migration of unskilled workers to towns and cities. Though a small amount is paid as daily wages, yet for a have not, it serves as great succour for his survival. It provides livelihood to the rural poor and curtails starvation for the rural poor.

With the growing pressure on the towns and cities, it is high time the Government raise the daily wages so that a poor can meet the rise in prices.

This year also our Government has provided Rs. 34000 crores for this scheme. But, what is tragic, particularly for any state, Assam is that state where only 19 days a year is the average work day under this scheme and my district, it is still poor at 13 days a year.

Corruption in Assam has eaten at the roots of this scheme. The job-card holders are not given work and not paid. There is a unholy nexus amongst the officials of the PRI institution, some politicians and bank officials they have to a great extent frustrated the scheme.

I know many cases in my constituency, Tezpur that many of the job-card holder are not paid wages since 2009. The work done is in papers only.

Some work is shown executed time and again and the money swindled by a section of corrupt officials.

The system of vigilance and monitoring is too slack. The vigilance system should be made more vigorous. The District Collectors should be made responsible for proper implementation of the scheme.

Though Members of Parliament are Chairman of the Vigilance and Monitoring Cell of the District, their writ does not run in ground level. The Government officials chose to go by their own system and style.

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteering hundred days of wage-employment in a financial year to a rural household who volunteer to do unskilled manual work. But the way the NDA Government is going to scrap the Act itself on the halfway is not at all a welcome step particularly in respect of the poorer states of this country. They argue that the real ideology behind the concept is pro-poor though the mechanism to some extent has been failed to implement it properly. In this regard, I would state some of the points like the poorer states spend lower per-capita on MGNREGA, have higher vacancies, lower staff motivation with limited technical capacities and are therefore unable to meet the demands of the programme. This will only be resolved by putting an effort to strengthen administration and local governments to deliver the scheme, which the NDA Government is claiming since its new Avtar. Then where is the flaw of the scheme? It is necessary in part of the NDA Government to ensure efective implementation of the Scheme.

Of course there are serious problems of corruption and weak implementation both in poor and non-poor States particularly in Congress regime. There is ample evidence that the poor often receive less their share of wages, that payment is delayed and that corruption in the use of material in MGNREGA work sites is on the increase. But it is pertinent to reform it with a view to re-structure MGNREGA rather than scrapping it.

If it is actually not so helpful to the rich States then restrict the scheme only to the backward states like Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhatisgarh, North Eastern States. The way we are taking about the use of machines definitely put some hindrance in order to employ unskilled labour. This may lead to further rationing of work, especially in poorly governed states. In my view we should take a formidable step to ensure more effective devolution of powers to Panchayats so that they will have real authority to identify infrastructure works and plan for MGNREGA expenditure, which today is determined almost entirely by the diktats of the Central Government and the whims and fancies of the district magistrates.

In my view, it is not ideal to scrap the scheme. it is always to find the solution to make the scheme more efficient and people friendly and employment generating tool in poor states.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Sir, the discussion was on 'reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.' More than 20 hon. Members have participated in this discussion.

Sir, you would recall that this Act came into existence during the UPA Government. In the first year -- when the UPA was in power -- the allocation made under this Act was Rs. 40,000 crore; and it was slashed to Rs 33,000 crore. So, it is very clear now and the allegation, that we are reducing the funding under this Act, has absolutely no base. Rather you would appreciate that in the last year, our Budget allocation was Rs. 33,000 crore.

There are four or five issues which all the Members have raised. One is the apprehension that it is being diluted. The other is that the 60:40 ratio is also being reduced. The material component is being increased and the labour component is being decreased. The third thing is that MGNREGA may not continue. This is also one of the arguments.

Sir, you would appreciate that till 31st October, the allocation of funds, which were released to different States, was Rs.26,711 crore which was to be given to different States. We have also cleared about Rs.2017 crore to nine States for clearing pending wage component. That was our priority. Those States, which were asking about the allocation of the required funds, were alleging that funds are not being released. In the last two weeks, we had released the amount to nine States....(*Interruptions*)

This is a fact that this is a demand-driven scheme and allocation to different States is not the criterion. The criterion is demand-driven. But whenever complaint comes to us that workers are not being paid for two months or three months, the blame is put on us. In the Act itself, it is prescribed that no payment would be delayed for more than 15 days. Precisely, what has been mentioned is seven days but it can be released up to 15 days.

So, generally, the blame is put on the Ministry of Rural Development, Government of India that we do not expedite the payments. But this is not exactly the correct position. Whenever some demand comes for the release of fund, if all the parameters are not met, if there is no audit report with us and the other procedure, which is to be followed for the clearance of the demand, is not followed, we cannot do it. So, by and large, the States are mostly responsible that while sending, either they do not send the complete details in the format prescribed or they may delay it on their own part.

But still I would say that there are certain things which require a re-visit of the Scheme itself. When we talk of 100 days of labour, the last 4-5 years experience of ours is that only we could touch 50 days in a year. That is the achievement up-till now. So, let me tell the House that out of more than 13 crore identified cardholders, all of them have not been provided with employment but only 5.6 crore cardholders have been provided with employment. One thing is that someone is requiring the employment for 30 days; and some other person may be requiring it for 40 days. By this, if everybody is to follow that, then naturally 50 per cent of the man-days are still to be utilised.

The next issue which is very pertinent and which most of the Members have raised is about poor quality of assets. It has been thought that poor quality can be improved only when the ratio of material component is enhanced from 40 per cent to 50 per cent. Even some Members have demanded it to be increased up to 60 per cent.

If you see till now the utilization of material component is only 24 per cent and labour component is 73 per cent. Hon. Members are pleading that labour component should be reduced. They can see from the data that 73 per cent of the component is still utilized for labour. There is also a demand that under MGNREGA the component of material may be increased from 40 per cent, but if we cannot utilize more than 24 per cent, I think, there is no argument in saying that it should be increased.

We have issued certain guidelines to increase the quality of the assets created. We have given instructions to have convergence plans. The convergence plan has been a great success and 21 States have come forward with this. For the rest, we have been trying to make them understand that this is the only way in which you can create good and quality assets.

You would also appreciate that our release was Rs.26,710.96 crore and through convergence we have been able to add Rs.15,000 crore more to the works which were undertaken under MGNREGA. It means that 35 per cent of the convergence from line Department has improved the quality. It has also broadened the activities or the jurisdiction of the MGNREGA itself. This has paid us to a great extent also.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is meant by convergence?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Convergence means, suppose there is a water channel, which needs to be constructed by Irrigation Department and the Irrigation Department provides only Rs.4 lakh for that, with this Rs.4 lakh it is not possible to have that water channel. So, we have decided that the earthwork would be conducted under MGNREGA and its payment would also be made under MGNREGA. The rest of the component, which consists of material, can be used for the water channel. That is the purpose of convergence.

My esteemed friend Shri K.H. Muniyappa was very particular that this scheme was the creation of the previous Government. The Act in this regard was enacted by the previous Government. I would like to remind my esteemed friend that this is not the position. The entire House was unanimous for its enactment, which means 120 and odd sitting Members from BJP were also supporting this enactment. So, you cannot make out that this is the creation only of the UPA Government. ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This is not fair. ...(*Interruptions*) You should give credit to the Government that has brought the Act. ...(*Interruptions*)You have supported it because it is a good Act. You do not have the courage to oppose it. ...(*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : Why do you doubt the intention of the present Government? All that I am saying is that the main Opposition Party in the last Lok Sabha, that is, BJP and other Parties also were unanimous on this and one on this that the enactment of MGNREGA is for the poor of the country. So, the credit part is not the monopoly of yours.

As for your saying that I am here becoming junior and I was very senior in the Congress Party, Muniyappaji, I know that at least for the last 30 years you are the most senior leader from Karnataka and that too from Scheduled Caste, but Congress never gave you that status.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): It has given everything for me.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : A man who has been a Member of Parliament six times ...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, let us discuss about the 193. ...(*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : Should I explain? ...(*Interruptions*) I served the Congress Party to the best of my ability for 40 years together and they did not give me, and this Party made me Cabinet Minister in 40 days. What do you want more from me? ...(*Interruptions*) Muniyappaji wanted a reply from me, and this is the time that I should give a proper reply to you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Muniyappaji is a very good friend of yours, and he perhaps prompted you to put it on record that whatever you are today is because of Bharatiya Janata Party. Hence, he wanted you to say it. ...(*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH : No. There are certain Congress friends of mine, and they have said that you had the guts to take a decision and we did not have the guts to take a decision. ...(*Interruptions*)

Secondly, I would also say that there are certain areas about which we should think as to how the scheme can be more effective and can be implemented for most of the backward areas where it is needed. They mentioned about a notification dated 21 July 2014 from the Government and stated that the scheme would be implemented in 200 districts and 2,500 blocks, and the rest of the blocks / districts would be out of MGNREGA. This is not the exact position. The exact position is very clear. As per IPPE, the blocks, where it was assessed by independent agencies that these are the blocks in the country where the scheme is to be intensified, and where poverty and other facilities for the population of those blocks requires more funding and more intensive care of those blocks, we have decided that these 2,500 blocks would be taken care of and given more priority for allocation of funds, but rest of the districts or blocks would be very much within the competence. They would remain as part of MGNREGA, and there is no other thing to it. ...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : If you want to intensify, are you increasing the budget allocation for the MGNREGA from the existing Rs. 34,000 crore?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: That you would see when the Budget is presented. I cannot comment on it at this time.

SHRI K.C. VENUGOPAL : The Finance Minister is here.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: The Budget will be presented in the month of February. Let us have that exercise first.

You should also acknowledge that 68 per cent population of our country lives in villages. The way we treat this population should be given the top

priority in terms of housing, connectivity and any other thing which can make their lives better. This budget proposal may be explained in the next Session. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him complete his speech. Afterwards, you can raise it. I will allow you to speak.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : I want to know whether it will be continued in all the districts where it already exists. That is the only thing I want to know.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: One more important thing is delay in payments. The other important thing is that there were complaints where workers have worked about forged job cards and all that. We have streamlined the entire system. Now, the money would be directly credited into the account of the beneficiary, and there would not be anybody in between. I cannot say whether the accounts are forged. However, as far as releasing funds and crediting the money into the account of the beneficiary are concerned, we have taken care of them.

There would be social auditing also. In certain parts of the country, social auditing has been appreciated like anything. I have a similar experience from the same area. I have noticed that *Sarpanches* can also be influential. If the *Gram Sabha* takes notice of this and are not driven by what the Panchayat says, if the *Gram Sabha* decides as such, then social auditing can be very effective. This has been done in the case of Andhra Pradesh and in some other States also. As far as Madhya Pradesh is concerned, they have appointed one Chartered Accountant for six to eight *Gram Panchayats* who would find out whether the accounts are being maintained properly, and he could also find out from the *Gram Sabha* whether funds are being utilized in the right manner. This is one step which we have taken.

As I have told you already, there are more than five crore rural households and 10 crore workers, and one in every three rural households is a worker under this programme. It addressed at least 41 per cent of the problem of unemployment in rural areas.

Sir, the latest guidelines which we have given to the States is that 60 per cent of this MGNREGA component would be utilized in agriculture and allied agricultural activities.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, how much time do you need to complete your reply?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, I will complete it in two or three minutes.

HON. DEPUTY SPEAKER: We will extend the House till the Minister's reply is over. Hon. Members, you can also raise your queries.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, Sixty per cent of the total expenditure shall be towards creating assets directly linked to agriculture and allied activities in the rural areas. This will allow flow of more investments into the sectors like irrigation.

Soil fertility management is the second consideration. We want that fertility should be maintained. Water conservation and afforestation will improve productivity. When productivity is improved, there are more chances of employment. When productivity is increased, villagers can rely on agriculture. If productivity is increased by 5 per cent or by 10 per cent, then it will not be a help to farmers. They will have to adopt other methods like biotechnology and all that. If we are in a position to create some green houses for small farmers, their income can be multiplied. It can increase their income by three to four times more than what it is now. There is a simple procedure for the certification of the organic crop. That can also increase the income of farmers.

I am in Delhi for the last 30 years. In the month of February, wheat from Madhya Pradesh which is only rainfed, comes to the Delhi market. Its cost is two to three times more than what the other States' wheat is because Madhya Pradesh's wheat has got the certification. It may not be a certification given by the Government but it is a public perception that this wheat is rain-fed. So, no chemical fertilizer is used in the production of that wheat. This type of atmosphere has to be created. That is why, we want to make full use of MGNREGA. This is the only way. When 60 per cent component of MGNREGA is used for allied agriculture, it would improve agricultural production.

I would say that certain States including Kerala and Madhya Pradesh have come out with certain suggestions that there should be some more sections of the village society which should be included in MGNREGA. There is also a proposal for dairy production. One of the proposals is that while doing harvesting and sowing, the farmer should also be paid some allowance if he is a marginal or small farmer. He should be paid from MGNREGA so that the cost of his production will go down. If you take the farming community, there may be 20 to 25 per cent of the total farming community which is in a position to have surplus and can send it to the market for selling. But the rest 75 per cent of the farming community grow for themselves. They consume of their own. So, they cannot be a partner of MSP. This is another way to help farmers. In that situation, we have realized that MGNREGA would go a long way and the apprehension in the minds of our friends that blocks are being reduced, districts are being taken out of MGNREGA, the component of labour is also reduced is not there. If we think, at any point of time,that certain thing not in the interest of the poor man, we would certainly go for a change.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge ji.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Please yield for a minute.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have to always yield for the Parliamentary Affairs Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There was a mistake in the morning Resolution. Instead of 2008, it was printed as 2011. The record has been corrected....(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : That was pointed out by me. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: But that has to go on record.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमें ऐसा बोल दिया इसलिए हम रेज़ नहीं कर रहे हैं। You have raised it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have not raised it. I have to put it correctly. Shri K.C. Venugopal first pointed it out.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय उपाध्यक्ष जी, फाइनेंस मिनिस्टर भी यहां हैं और बीरेन्द्र सिंह जी यहां हैं। मंत्री जी को एक स्पष्ट बात को स्वीकार करना होगा कि मनरेगा राइट बेस्ड प्रोग्राम है। ...(व्यवधान) जहां डिमांड रहती है, मिनिमम 100 दिन देने का वायदा ही नहीं है, यह कानून में है। यह अधिकार है इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप चाहे जिस जगह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज यह है, आपने खुलासा कर दिया है कि 2500 ब्लॉक्स में ही नहीं सारे ब्लॉक्स में काम होगा। यह क्लेरिफाई कर दिया गया है। आपने इसके लिए 34000 करोड़ रुपया रखा है, 49 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट जाएगा। लेबर कम्पोनेंट के लिए पैसा कम रहेगा और 2010-11, 2011-12 या 2012-13 में जो वेज़ेस थे, आज के लेबर इंडैक्स के मुताबिक यह 132 से 190 रुपए तक हो गया है। जब 190 रुपए तक वेज़ेस देते हैं तो उसके तहत मैन डेज़ कम होते हैं। आपने 39,000 करोड़ रुपए का टार्गेट रखा है, मोर ओर लैस इस टार्गेट को अचीव करने के लिए लेबर कम्पोनेंट में ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर 49 परसेंट भी करें तो इसका बजट बढ़ाना होगा। 34,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपए कीजिए, 49 परसेंट कीजिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No comments. Shri Jagdambika Pal ji, please take your seat. Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा कहना है कि जिस राज्य में डिमांड है या जहां 100 दिन काम देना जरूरी है, वहां के लिए बजट कम है, अलॉटमेंट इतना ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसी कम्पलेंट बहुत से राज्यों से आई है कि उनको पैसा नहीं मिला। आप यहां बोल रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप स्टेट में जाएं, हर राज्य से पूछिए, वहां पैसे की कमी है।

तीसरी बात, यह इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। इस सदन के सीनियर लीडर श्री एल.के. आडवाणी, अक्तूबर, 2009 में जब यू.एन. जनरल असेम्बली में वष 2012 में गये थे तो उन्होंने कहा-

> "The NREGA programme has helped breakdown social inequalities, empower rural people, build up rural infrastructure and review economic growth."

यह तो उनका कहना है और यह सबका कहना है। इसके पूरक, आप वहाँ पर पैसे नहीं लगाते हैं। आप कहते तो हैं और उसके तहत पहले जो राशि 52 हजार करोड़ रुपए थी, अब 41 हजार करोड़ रुपए हो गयी है, फिर 39 हजार करोड़ रुपए हो गयी और आज यह 34 हजार करोड़ रुपए पर आ गयी है। उसमें भी 49 प्रतिशत मैटेरियल कंपोनेंट है। ...(व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : शायद मैं आपको समझा नहीं सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के लेवल पर जितने भी काम होंगे, उसमें लेबर कंपोनेंट 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यह हमारी एक गाइडलाइन है। दूसरा, जो काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकती थी, जो ब्लॉक लेवल पर होते थे, उन कामों पर भी ऐसा था कि उस ब्लॉक के सारे काम मिलाकर यदि 60-40 प्रतिशत का कंपोनेंट हो तो ठीक है। हो सकता है, एक में मैटेरियल कंपोनेंट 60 प्रतिशत लग गया हो और दूसरे में लेबर कंपोनेंट 90 प्रतिशत लग गया हो। अब हमने ऐसा किया है कि जिलास्तर पर जो ग्राम पंचायतें काम नहीं करेंगी, जो काम लाइन डिपार्टमेंट या कांट्रैक्टर या किसी अन्य के माध्यम से होते हैं, उनमें टोटल तो 60-40 प्रतिशत ही आएगा, लेकिन, हो सकता है उस जिला में सौ काम हुए हों, उनमें से 60 प्रतिशत कामों में labour component is prominent और 40 प्रतिशत कामों में हो सकता है कि मैटेरियल कंपोनेंट प्रौमिनेंट हो। लेकिन यदि जोड़ किया जाएगा तो लेबर कंपोनेंट 60 से कम नहीं माना जाएगा। ये गाइडलाइंस हमने दिये हैं।

आपकी दूसरी क्वेरी थी कि मिनिमम वेजेज कई राज्यों ने बढ़ाये हैं। 34 राज्यों के मिनिमम वेजेज हैं, इनमें मनरेगा के तहत कितना है? उनमें 14 राज्य ऐसे हैं जो मनरेगा के जो वेजेज हैं, वे वहाँ के स्टेट वेजेज से ज्यादा हैं। यदि आप कहें तो मैं उनके नाम आपको पढ़कर सुना दूँ। इनमें अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यदि उसके तहत पैसे रखते हैं, तो ठीक है। मेरा जो तीसरा मुद्दा था, उसके बारे में आपने नहीं कहा। हम जो 34 हजार करोड़ रख रहे हैं, यदि आप कुल मिलाकर देखते हैं और पिछले आंकड़े भी देखते हैं तो आपका टारगेट मैनडेज़ कम है। क्योंकि पाँच करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, उनमें से आपका टारगेट 3.9 करोड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं, यदि डिमांड ज्यादा आया तो इसके लिए एक प्रोविज़न इस साल के बजट में या सप्लीमेंट्री बजट में लाना ही था। लेकिन बहुत सी जगहों पर आपने मनी रिलीज नहीं किया, जिसके कारण वे पैसा खर्च नहीं कर पाए। यहां से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसीलिए आप पैसा रोक देते हैं। अगर आप हर स्टेट को पैसा एडवांस में रिलीज कर दें और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, एक महीना, दो महीना लेट भी हुआ, तो आप, बाद में, ऑडिट के समय, मार्च में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जहां-जहां, जिस-जिस स्टेट में यह पैसा रुका हुआ है, उसे जल्दी से रिलीज कर दीजिए और इन-एडवांस आप पैसे भेजने की कोशिश कीजिए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष जी, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और पश्चिम बंगाल में मैंने "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के तहत, नक्सलवाड़ी के एक ब्लॉक हाथीघीसा को चुना है। जब मैं अपने प्रोग्राम को वहां लाँच करने गया, तो मुझे पता लगा कि पिछले 6 महीने से उस ब्लॉक में मनरेगा की वेजेज के पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। लोगों के पैसे पैंडिंग पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में, कई जगह, लोगों से, मजदूरों से, जॉब कार्ड के अगेंस्ट काम करा लिया गया है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिये गये हैं, जिसके कारण लोगों में बहुत नाराजगी है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि क्या आप सांसद ग्राम योजना के तहत, जो ग्राम पंचायत आती हैं, उन्हें मैनडेटरी करेंगे कि वहां मनरेगा का पैसा नहीं रुकेगा।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to raise only one question. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow only one person from each party to speak.

DR. P. VENUGOPAL: You have already told the House that dairy should be included in the scope of work of MGNREGS. There is a demand for coir industry that they should also be included in the scope of work under MGNREGS. The Kerala Government has already requested for dairy and coir industries to be included in the scope of work in MGNREGS. Will the Minister consider including dairy and coir industries in MGNREGS?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Hon. Deputy Speaker Sir, the initial purpose of this MGNREGS was to enhance the livelihood security, to create productive assets and to strengthen grassroots democratic setup. These are the three major things. During the NDA regime of Atalji, Vigilance and Monitoring Committee came into existence under Rural Development Ministry.

We want to know what productive assets are being created in MGNREGS? Are you maintaining any register at district level, state level or Union level for keeping record of the productive assets which are being created? Can you give us the status of the productive assets which have been created during the last three years or is it just getting washed away? Lakhs of crores of rupees are being spent in MGNREGS. My only concern is whether any productive asset is being created and whether we are keeping a register at some level for this purpose.

PROF. SAUGATA ROY : Hon. Deputy Speaker, I thank the hon. Minister for clarifying several misgivings we had about MGNREGS. The Finance Minister said earlier and he also emphasized that there will be no dilution of MGNREGS. In spite of the circular that was issued, you have mentioned that in 2500 blocks you will be concentrating on improving and strengthening MGNREGS.

The other thing you clarified is that the proportion of wages and materials would continue to be 60:40. You also clarified that there will be no slash in the budgetary allocation of Rs 34,000 crore which was announced in the Budget. I thank you for the same. But till last week, several States including West Bengal had a lot of arrears in MGNREGS. In West Bengal, the total arrears were to the extent of Rs 1,034 crore. I cannot tell the status upto this week, but till last week in many places job card holders were not getting wages.I am told that several other States like Karnataka also had arrears of MGNREGA allocation. They are saying that the condition is the same in Kerala also. I would like to know from the hon. Minister whether all the dues of arrears to the States with regard to payment of wages from MGNREGA, to the job card holders have been cleared. If so, when was it and if not, when will it be cleared?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे कि 60 और 40 का रेश्यो रहे। पहले ग्राम सभाओं के लेवल पर करते थे। अब 60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट रहेगा, 40 परसेंट मैटिरियल कम्पोनेंट रहेगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में कोई ऐसा काम नहीं रह गया है, जिसमें लेबर कम्पोनेंट को ज्यादा किया जाए। क्या इसको मैटीरियल कम्पोनेंट से जिससे स्थायी परिसम्पत्तियां गांव में निर्मित हो सकें, उस स्थायी परिसम्पतियों को देखते हुए मैटिरियल मैनेजमेंट का कम्पोनेंट 60 परसेंट और लेबर कम्पोनेंट 40 परसेंट किया जाए और दूसरे विभागों में डवटेलिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन वहां मैनुअल काम नहीं होता है, बल्कि मैकेनिकल तरीके से कांट्रेक्ट पर काम कराते हैं, उसको रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई करेंगे?

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): I thank the hon. Minister for clarifying that there will be no dilution and the proportion of 40:60 will be maintained. But why was this confusion created? During the last 4-5 months, a number of notifications have been issued from the Ministry saying that certain number of blocks will only benefit out of the MGNREGA. The States have been asked to prepare the plan for the intensive blocks. The Ministry has issued the notification to the States communicating the indicative amount within this limit. But the Government is saying that it is demand-driven. If it is so, it may be one or it may be 100; and so, you cannot have an indicative amount or figure. By this way, the Ministry itself is creating all the confusion. If what the hon. Minister stated here is implemented, then it would be very much helpful.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि डिल्यूट करने की कोई पालिसी नहीं है, लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स को कहा गया कि प्लांटेशन की जाएगी। छोटे किसान प्लांटेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर बड़े किसानों की भी बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि प्लांटेशन करने से पौधों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण में भी सुधार होगा। किसान भी इससे फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा डायवर्सिफिकेशन के लिए सब्जियों और फलों को भी लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। जहां तक एरियर की बात है, पंजाब का काफी एरियर बकाया है। मैं चाहता हूं कि पंजाब के एरियर क्लीयर किए जाएं। 60-40 के रेश्यो में स्कूल, डिसपेंसरी और कम्यूनिटी सेंटर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी केवल आंगनवाड़ी और मनरेगा भवन ही लिए जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हीं के विभाग की वर्ष 2013 की ऑडिट रिपोर्ट यह कहती है कि 48 प्रतिशत डायवर्जन हुआ है। वर्ष 2009-10 नेशनल सेम्पल सर्वे है, वह कहता है कि 48-49 प्रतिशत का डायवर्जन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को जमीनी हकीकत पर तथ्य बता दूं कि लाखों करोड़ों रुपया मनरेगा पर खर्च हुआ, लेकिन कम से कम बिहार में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं कहीं पर उसका नामोनिशान नहीं देखता हूं। अगर सौ योजनाएं ली गई होंगी तो उसका कहीं नामोनिशान नहीं है।

दूसरी बात, क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि जो जॉब कार्ड्स हैं, वे मुखिया के पास रहते हैं, जो पास बुक्स हैं, वे मुखिया के पास रहती हैं और 50-60 प्रतिशत से ज्यादा इसमें फर्जी काम हो रहा है। इसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are thankful for the assurance given by the hon. Minister that there will be no dilution in MNREGA. But the problem is that since it is a demand driven wage employment programme, it totally depends on the demand. There are huge arrears of West Bengal as well as Kerala. Definitely the demand will decline...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the hon. Minister to reply. We cannot take the time of the Private Members' Business. I cannot give you more time.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) â€¦ *

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय खरगे जी ने यह चिंता ज़ाहिर की है और यह ठीक है कि यह डिमांड ड्रिवन है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी हमने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा रिलीज किया है और उसमें पहली शर्त यह रखी गई है कि जो लेबर कंपोनेंट है, उसकी पेमेंट में जहां दो महीने या तीन महीने का डिले है, मैं इस बात से भाग नहीं रहा हूं। कई राज्यों में यह डिले और भी ज्यादा है लेकिन इसका सारा जिम्मा आप अगर यह कहें कि हमारे मंत्रालय का है, ऐसा नहीं है। आपने खुद माना कि कई जगह ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती, कई जगह पूरा ब्यौरा नहीं पहुंचता फिर भी मैं आपको इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि यह डिमांड बेस्ड है क्योंकि यह लेबर बजट है। हम इस लेबर बजट को प्राथमिकता देंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 220 करोड़ मेनडेट्स लेबर बजट के हिसाब से हमने उसके लिए रखे थे लेकिन मैंने साथ साथ यह भी कहा कि पचास दिन से ज्यादा का रोजगार लोग प्राप्त नहीं कर सके। अब आप यह कहें कि रोजगार तो पचास दिन से ज्यादा का भी लोगों को मिला है। लेकिन लोगों को पैसा तीन-तीन, चार-चार महीने से नहीं मिल रहा है। यह विरोधाभास है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं न कहीं एकाउंट करने में, उसको आगे पहुंचाने में, उसके ऑडिट करने में कहीं न कहीं देरी राज्य सरकारों से हुई है और वही एक कारण है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : लेकिन गरीब लोगों को उनके वेजेज नहीं मिले।...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अगर राज्य सरकार हमें पूरी सूचना नहीं देगी तो हम कोई ज्योतिषी तो हैं नहीं कि हम बता देंगे कि इनको इतना पैसा मिलेगा। राज्यसरकार से पूरी सूचना आने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी नौ राज्यों को मैंने भिजवाया है। वैस्ट बंगाल की बात माननीय सदस्य सौगत राय जी ने कही।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सौ दिनों के काम में वैस्ट बंगाल फस्ट है।...(व्यवधान)

16.00 hrs

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि 2013-2014 में वैस्ट बंगाल को मनरेगा के तहत 2894 करोड़ रुपये रिलीज किये गये और अभी 2014-15 खत्म नहीं हुआ, अब तक हम वैस्ट बंगाल को 3745 करोड़ रुपये रिलीज कर चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): हमारे इलाके में अभी तक नहीं मिला, नक्सलवादी को ...(व्यवधान) वहां सारे पैसे रोक दिये। जब से चुनाव के रिजल्ट आये हैं, वहां सारे पैसे रोक दिये। ...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो असैट्स क्रिएट होती हैं, उनका कोई रिकार्ड रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विलेज लैवल पर हमने असैट्स का रजिस्टर मेनटेन किया हुआ है। उसमें रोड, स्टेशन, लैंड लैवलिंग और दूसरे जो भी काम हैं, जो उस गांव में हुए हैं, यह सही है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको आंखों से नजर नहीं आयेंगे, लेकिन लैंड लैवलिंग एक ऐसा काम है या अफॉरेस्टेशन ऐसा काम है, जिसे आप अगले साल नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने यह कहा कि क्वालिटी असैट्स भी पैदा हों, ताकि उनकी उम्र भी 40, 50 या एक सौ साल हो, ताकि यह लगे कि यह काम मनरेगा के तहत हुए हैं। इसीलिए हमने लैंड डिपार्टमैन्ट को साथ जोड़ने की कोशिश की है और उसके रिजल्ट्स भी हमारे लिए अच्छे आए हैं, 35 परसैन्ट लैंड डिपार्टमैन्ट का पैसा हमने मनरेगा के माध्यम से जोड़ा है और खर्चा किया है।